



विचार

अनुक्रम

संपादकीय	1
विकास विचार	
■ भारत में जन सेवाओं में सुधार	2
आपके लिए	
■ राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति	11
■ बाल विवाह रोकने के कार्यक्रम और परिबल	17
अपनी बात	
■ सच की यादें, यादों का सच	21
गतिविधियां	24
संदर्भ सामग्री	25
अपने बारे में	29

संपादकीय टीम :

दीपा सोनपाल
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25 रु. मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीऑर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संगठन, अहमदाबाद के नाम भेजें।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

जन सेवा क्षेत्र में लोकाभिमुखता की आवश्यकता

भारत में १९९१ में नई आर्थिक नीति की शुरुआत होने के बाद सरकार के विभिन्न स्तरों द्वारा और उनके विभागों तथा अर्ध-सरकारी संगठनों व सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं उनमें सुधार करने और जन सेवाएं लोकाभिमुख बनाने के लिए विविध स्तर की सरकारों ने प्रयास शुरू किए हैं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें पहल करने में अग्रसर रहीं। उन्होंने ही ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में स्थानीय सरकारों को इस हेतु प्रेरणा दी।

मुख्यतः ये सुधार विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा के लिए ही रहे हैं। अर्थात् इस तरह का रास्ता अपनाया गया कि सरकारी व अर्ध-सरकारी आपूर्तिकारों के साथ निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा करे या जो सेवाएं सरकारी या अर्ध सरकारी आपूर्तिकार देते हों उन सेवाओं का निजीकरण किया जाए। परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धा पैदा हुई या जिन क्षेत्रों या सेवाओं का निजीकरण हुआ उनमें कार्यक्षमता आई। इसके फलस्वरूप नागरिकों को उल्लेखनीय फायदा होने का अनुभव लगभग सर्वत्र व्याप्त है।

यद्यपि विकेन्द्रीकरण, सहभागिता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व के मापदंड से इन फेरबदलों को देखा जाए और उनका मूल्यांकन किया जाए, तो अभी भी कई खामियां हैं। खासकर सामान्य व गरीब नागरिकों को जिन सेवाओं का लाभ रोजाना या बारबार मिलना है या जिन सेवाओं के जरिए उनके जीवन की गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार होने हैं, वे सेवाएं अभी भी शासन की जड़ प्रक्रियाओं से मुक्त नहीं हुई हैं। परिणामतः सामाजिक न्याय स्थापित नहीं हो पाता। इतना ही नहीं कार्यक्षमता भी विकसित नहीं होती। सूचना अधिकार अधिनियम ने शासन को पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु सुशासन स्थापित करने के मामलों में अभी मंजिल काफी दूर है। शासन में सुधार ऊपर से नहीं थोपे जाने चाहिए, बल्कि स्थानीय स्तर से स्थापित होने चाहिए। तभी ये सुधार लोगों की स्वीकृति पाते हैं और शासन सहभागी बनता है। जन सेवा क्षेत्र में कई सुधार ऐसे हैं जो मात्र निजी क्षेत्र को ध्यान में रख कर किए जाते लगते हैं। निजी क्षेत्र की सीमा यह है कि वह आम आदमी के प्रति आसानी से उत्तरदायी नहीं बनता। राज्य निजी क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के लिए अनुकूल मार्ग बनाता है, वैसे ही निजी क्षेत्र द्वारा दी जाने वाली तमाम जन सेवाएं लोक भागीदारी वाली तथा लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाने वाला तंत्र विकसित करना भी राज्य के लिए आवश्यक है। प्रशासनिक अधिकारियों और राजनेताओं को इस बारे में प्रतिबद्ध बनना अनिवार्य है।

भारत में जन सेवाओं में सुधार

भारत में जन सेवाओं की आपूर्ति की गुणवत्ता पर काफी चर्चा होती रही है। विविध स्तर की सरकारों ने हाल के वर्षों के दौरान सेवाएं देने की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। विश्व बैंक द्वारा हाल ही में ऐसे ३१ प्रयासों का अध्ययन किया गया है। तत्सम्बंधी रिपोर्ट के आधार पर यह लेखा श्री बिनोय आचार्य और श्री हेमंतकुमार शाह द्वारा तैयार किया गया है।

प्रस्तावना

राजतंत्र व शासन व्यवस्था किसी भी समाज में विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक इसी तरह यह भी जरूरी है कि यह व्यवस्था न्याय दे। अतः सुशासन गरीबी निवारण व सामाजिक न्याय के लिए महत्वपूर्ण विषय बना है। परिणामस्वरूप शासन में सुधार पर लगभग पिछले दो दशकों के दौरान ध्यान केन्द्रित किया गया है। लगभग तीन दशकों से कुल मिला कर वैश्वीकरण की प्रक्रिया दुनिया भर के विभिन्न देशों में विभिन्न मात्रा में व्याप्त रही है।

ऐसी अर्थव्यवस्था में कार्यक्षमता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना है जिसमें उदारीकरण व निजीकरण बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था के नए नारे बने हैं बाजार कार्यक्षमता को प्रेरित करता है, क्योंकि बाजार न्यूनतम खर्च में बेहतर उत्पादन पर ध्यान केन्द्रित करता है। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था में ऐसा आग्रह स्थापित हुआ है कि ऐसी व्यवस्था शासन में भी लानी चाहिए।

हालांकि राज्य के कार्य में मात्र कार्यक्षमता मानदंड नहीं हो सकता। सामाजिक न्याय, सहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शिता तथा स्वच्छ एवं शुद्ध शासन-प्रशासन के जरिए पैदा होती है या नहीं, ये उसके स्वीकृत मानदंड बने हैं। इस दृष्टि से शासन का मूल्यांकन करने की जरूरत पैदा होती है।

भारत में १९९१ में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई और

अर्थव्यवस्था को बाजार आधारित बनाने की दिशा में कदम उठाए गए। फलस्वरूप राज्य की भूमिका बदल गई। राज्य का अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण न रहे तथा यह मुद्दा केन्द्र में रहा है कि वह बाजार को उसका काम करने देने की व्यवस्था स्थापित करे। इसके बावजूद शासन को सुधारने पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया क्योंकि ऐसा समझा गया कि कई कार्य ऐसे हैं जो राज्य के जरिए होते हैं या राज्य को इसके लिए बाजार को मार्गदर्शन देना चाहिए।

इसके परिणामस्वरूप शासन सुधारने के कई प्रयास देश भर में अलग-अलग स्तर की सरकारों के लिए किए गए। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि पारदर्शिता स्थापित हो तथा भ्रष्टाचार दूर हो, सेवाओं की आपूर्ति में कार्यक्षमता व गति बढ़े, लोगों को सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों के बारे में जानकारी बहुत आसानी से प्राप्त हो तथा फलस्वरूप लोग उन योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त कर सकें।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार के विभिन्न विभागों व मंत्रालयों की कार्रवाइयों सुधारने पर तथा उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी स्थापित करने पर तथा लोगों की सहभागिता वित्तीय व निर्णय प्रक्रिया के सम्बंध बढ़ाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया। इसके लिए कई तकनीकी उपाय भी खोजे गए एवं प्रयोग किए गए। ई-गवर्नेंस अर्थात् शासन की कम्प्यूटर आधारित शैली विकसित करने का उद्देश्य भी यही रहा है।

ग्राम पंचायत से शुरू करके राज्य सरकार तक के स्तर की सरकारें नागरिकों को रोजमर्रा की सेवाएं देती हैं। इन तमाम स्तरों पर इस प्रकार के सुधार लाने की जरूरत १९९१ से समझी गई तथा उसे कार्यरत करने के लिए विविध प्रकार के प्रयोग किए गए।

ये प्रयोग अनेक राज्यों, कई तरीकों से और कई स्तरों पर विविध

प्रकार की कार्यवाहियों में फेरबदल कर तथा कानूनों में सुधार कर, नियम सुधार करके या बदल कर अथवा अंकुश रद्द कर तथा स्पर्धा स्थापित करके किए गए हैं। इन प्रयोगों ने निर्धारित परिणाम लाने में कई क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है या अपेक्षित सफलता नहीं पाई है, परंतु सफलता की दिशा में कदम अवश्य बढ़ाए हैं। ये फेरबदल लाने वाले कर्ता व परिबल अनेक हैं। उनके स्वरूपों, कार्यवाहियों व विधियों को समझा जाए तो यह समझा जा सकेगा कि शासन कैसे सुधारा जा सके, समग्र समाज कैसे विकास कर सके तथा विकास आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जा सके। स्वशासन को सुशासन की ओर ले जाने की प्रक्रिया इस संदर्भ में समझा जा सकता है। इससे विशेष रूप से यह निष्कर्षित किया जा सकेगा कि शासन लोकभोग्य कैसे बने।

जन सेवाएं सुधारने के प्रयास

गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान व तमिलनाडु राज्यों में विविध सेवाओं की आपूर्ति सुधारने के लिए जो प्रयास कुछ वर्षों के दौरान हुए हैं उनके उदाहरण यहां दिए गए हैं। इन प्रयासों के विश्लेषण से निकाले गए निष्कर्ष वह निम्नानुसार है:

१. अनुकूल पर्यावरण बनाना

शासन में सुधार लाने के लिए अनुकूल पर्यावरण का सृजन अनिवार्य है। सुधार सम्बंधी अनुभव दर्शाते हैं कि सेवाएं देने को लेकर जो सुधार हुए हैं उनमें राजनीतिक नेतृत्व केन्द्र में रहा है। सम्बद्ध राज्य के राजनेताओं ने समुदाय की सहभागिता स्थापित करने पर, विकेन्द्रीकरण करने पर, नई तकनीक जोड़ने पर तथा

गुजरात में अंतरराज्य चेक पोस्ट

सभी राज्यों को अपने राज्य में प्रवेश करने वाले वाहनों पर प्रवेश कर लेने का अधिकार है। परिवहन विभाग द्वारा संचालित अंतरराज्य चेक पोस्ट द्वारा यह कर वसूला जाता है। भ्रष्ट निरीक्षकों के कारण इस कर से राज्य सरकार की आय बहुत कम होती थी और वे गुजरात में प्रवेश करने वाले वाहनों से अवैध रूप से रिश्वत लेते थे। यह समग्र काम अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा होता था। इसके कारण राजमार्ग पर लम्बी कतारें लगती थीं और अंतरराज्य व्यापार में भारी विलम्ब होता था। इतना ही नहीं, ट्रक में अधिक माल भरने के बावजूद भी जांच नहीं की जाती थी, क्योंकि निरीक्षकों का अभाव था तथा टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध नहीं थी। इस कारण भी राज्य सरकार को आर्थिक हानि होती थी। परिवहन विभाग इस समग्र प्रक्रिया पर शायद ही कोई निगरानी रख पाता था।

१९९९ में परिवहन आयुक्त ने मुख्य मंत्री और वित्त विभाग को राज्य की दस चेक पोस्ट का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए राजी किया। दस माह में ही यह नई व्यवस्था लागू की गई। यह निम्नानुसार है:

- (१) वजन करने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनों के लिए नई लाइनें बनाई गईं।
- (२) प्रत्येक लाइन पर वीडियो कैमरे लगाए गए। ये कैमरे अहमदाबाद में नियंत्रण कक्ष में लाइसेंस की प्रति भेजते हैं। इससे इसकी

जानकारी हो जाती है कि वाहनों का कर वसूला गया या नहीं तथा ट्रक में निर्धारित मात्रा में माल भरा गया है या नहीं।

- (३) फिर यह सूचना सीधे टर्मिनल पर सम्बद्ध चेक पोस्ट के केबिन में दी जाती है तथा स्वतः ही कर की गणना हो जाती है। अधिक वजन हो तो जुर्माने की गणना भी हो जाती है।
- (४) वाहन का ड्राइवर भी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सारा विवरण देख सकता है और उसे कर की रसीद भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाती है।
- (५) यह व्यवस्था चलाने के लिए सार्वजनिक निविदा द्वारा एक निजी कम्पनी का चयन किया गया।

इस समग्र व्यवस्था के फलस्वरूप मात्र दो मिनट में ही वाहन कर का भुगतान हो जाता है। स्पष्ट है कि यह व्यवस्था पुरानी व्यवस्था से बेहतर थी।

हालांकि २००० में यह व्यवस्था शुरू करने वाले परिवहन आयुक्त का तबादला हो गया और इसके परिणामस्वरूप समग्र व्यवस्था कुछ हद तक चरमराई। हालांकि सरकार की आय में वृद्धि तो हुई ही। १९९८-९९ में ५६ करोड़ की रु. आय हुई थी, जबकि २००३-०४ में २९१ करोड़ की आय हुई।

प्लेग के बाद का सूरत

गुजरात के सूरत शहर में सितंबर-१९९४ में प्लेग फैला। सतत भारी वर्षा के कारण बड़े पैमाने पर जल भराव और पशु-पक्षियों की मृत्यु के चलते चूहों का उपद्रव पैदा हुआ और यह रोग फैला। सूरत महानगर पालिका मृत पशुओं की निकासी में अक्षम थी, जिसके कारण जन स्वास्थ्य के प्रति बड़ा खतरा पैदा हुआ। सूरत से लगभग ३ लाख लोगों ने पलायन किया। कहा जाता है कि सूरत के उद्योग-रोजगार को करीब ३,००० करोड़ का नुकसान हुआ, परंतु फिर सूरत ने करवट बदली।

मई-१९९५ में राज्य सरकार ने महानगर पालिका के आयुक्त की नियुक्ति की। उन्होंने स्थानीय सूरतियों की सहायता सूरत के कायाकल्प का संकल्प किया। उन्होंने छह विभागीय कार्यालयों में छह प्रमुखों की नियुक्ति की तथा उन्हें जलापूर्ति, सफाई, सड़क, जन स्वास्थ्य आदि जैसे तमाम कामों पर निगरानी रखने का अधिकार दिया।

उनके बीच समन्वय भी स्थापित किया ताकि वे परस्पर सूचना का आदान-प्रदान करें और उनकी गतिविधियों का समन्वय भी करें। तमाम वरिष्ठ अधिकारियों के लिए हर रोज सुबह शहर में घूमना जरूरी किया गया। इससे शहर में वास्तव में क्या हो रहा है, इसकी जानकारी हुई। इसके अलावा वे पालिका के कर्मचारियों पर बेहतर ढंग से निगरानी रख सके।

सफाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम यह उठाया गया कि सफाई कर्मचारी जहां रहते थे उन क्षेत्रों में ही सफाई सबसे पहले की गई। उनकी कई शिकायतें हल की गईं।

सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह हाथ में ली गई कि कानून का अमल हो। जो होटल-रेस्टोरेंट सफाई के मानदंडों का पालन नहीं करते थे उनके विरुद्ध कदम उठाए गए। जो उद्योग पर्यावरण को प्रदूषित करते थे उन्हें दंडित किया गया।

जो मकान अवैध रूप से निर्मित थे व सड़कों पर अवरोध पैदा

करते थे उन्हें तोड़ दिया गया। झोंपड़पट्टी क्षेत्रों में नलकूप की व्यवस्था की गई, सड़कें चौड़ी की गईं तथा पक्के रास्ते बनाए गए, सामूहिक शौचालय की व्यवस्था की गई और गटरें बनाई गईं।

महानगर पालिका के प्रयासों से सबसे महत्वपूर्ण ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था हुई। सूरत शहर के छह विभागों को ५२ सफाई वार्डों में बांटा गया और कचरा एकत्रीकरण पर निगरानी के लिए छह अधिकारियों की नियुक्ति की गई। इसके कारण वे सफाई कर्मचारियों पर बेहतर निगरानी रख सके।

इसके अलावा बड़े रास्तों की सफाई की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को सौंपी गई। उनके द्वारा दिन में रास्ता साफ करने की व्यवस्था की गई और सफाई सम्बंधी दैनिक रिपोर्ट तैयार की गई।

ई-शासन भी शुरू हुआ। १३ नागरिक सुविधा केन्द्र शुरू किए गए। ऐसा व्यवस्था की गई कि महानगर पालिका के कार्यालय तक आने की बजाए नागरिक अपना कार्य कर सकें। भारत का यह पहला शहर था जिसने द्विप्रविष्ट लेखा पद्धति लागू की और शिकायत निवारण की ऑनलाइन व्यवस्था के लिए उसे अवार्ड भी मिला।

सूरत के जागृत मीडिया ने सुधार के लिए लगातार दबाव बनाए रखा। मनपा आयुक्तों ने भी लगातार निर्वाचित बॉडी के साथ विचार-विमर्श किया और निर्वाचित बॉडी ने सुधार को समर्थन दिया। इसका परिणाम १९९५ के और आज के सूरत में दिखता है:

- (१) १९९५ में सूरत की ६० प्रतिशत आबादी को ही शुद्ध पानी मिलता था। २००३ में यह प्रतिशत ९५ हुआ।
- (२) १९९५ में ३० प्रतिशत सूरतियों के लिए कचरा निकासी की व्यवस्था थी, जबकि २००३ में यह प्रतिशत ९५ हुई।
- (३) १९९५ में मात्र ४० प्रतिशत कचरा ही एकत्र किया जाता था। २००३ में शत-प्रतिशत कचरा एकत्र किया जाता है।
- (४) १९९५ में बहुत कम कचरे का प्रसंस्करण होता था। २००३ से नदी या समुद्र में कचरा डालने से पहले उसका शुद्धीकरण किया जाता है।

राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा में सुधार का अनुभव

राजस्थान में १९८० के दशक में साक्षरता का प्रमाण ३५.९ प्रतिशत था। १९९० में यह ५८.३ प्रतिशत हुआ। महिलाओं की साक्षरता तो इससे भी अधिक गति से बढ़ी। उत्तर भारत के किसी भी राज्य के मुकाबले यह प्रगति सर्वाधिक प्रभावी थी।

प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के दाखिले का प्रमाण बढ़ने से यह सुधार हुआ। सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों की संयुक्त भागीदारी के कारण राजस्थान की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार संभव हुआ। १९८७ में राजस्थान ने देश भर में पहली बार समुदाय से शिक्षकों का चयन किया। उन्हें शिक्षाकर्मी कहा गया। उनका चयन एक रजिस्टर्ड बोर्ड द्वारा किया गया। उनसे यह अपेक्षा थी कि वे सुदूर क्षेत्रों में शिक्षा देने का काम करें। १९९० के दशक के मध्य तक इस कार्यक्रम के तहत ३२ जिलों में लगभग २.०२ लाख विद्यार्थियों को शामिल किया गया।

१९९२ में इस कार्यक्रम के पूरक कार्यक्रम के रूप में जन अभियान कार्यक्रम शुरू किया गया। सरकारी विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक सेवाएं दी जाएं और स्कूल के बाहर रह गए बच्चों तक स्कूल पहुंचे, इसके लिए समुदाय का शामिल होना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। समुदाय के नेताओं ने विद्यालयों पर निगरानी शुरू की। निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली ग्राम शिक्षा समितियों का गठन

हुआ। प्रत्येक बच्चे की शैक्षणिक प्रगति को नोट करना शुरू किया गया।

इस समग्र कार्यक्रम में नागरिकों के संगठनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सोशल वेलफेयर रिसर्च सेंटर तथा मजदूर किसान शक्ति संगठन दोनों ने इस कार्यक्रम के अधिक उत्तरदायी बनने पर जोर दिया। गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकार की भागीदारी के साथ १९८३ में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इसमें महिलाओं की शिक्षा, बाल विवाह रोकने, न्यूनतम वेतन लागू करने आदि पर ध्यान केन्द्रित किया गया। इस कार्यक्रम ने भी शिक्षाकर्मी योजना में पूरक कार्यक्रम के रूप में भूमिका निभाई।

समग्र देश में राज्य घरेलू उत्पादन (एसडीपी) की ३.३ प्रतिशत रकम शिक्षा पर खर्च की जाती है। राजस्थान ने लगभग ४.५ प्रतिशत रकम शिक्षा पर खर्च करना शुरू किया। राजनीतिक प्रतिबद्धता का यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण नमूना है। राजनेताओं ने राज्य में किए गए शैक्षणिक सुधारों में मजबूत समर्थन दिया। यद्यपि १९९० के दशक के उत्तरार्ध में जन अभियान तथा शिक्षाकर्मी दोनों योजनाएं राजनीतिक कारणों से लगभग बंद कर दी गईं।

शासन को लोगों तक ले जाने पर ध्यान केन्द्रित किया। खासकर विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच इन सुधारों पर सर्वसम्मति बनती दिख रही है।

इसके फलस्वरूप विविध राजनीतिक दलों व उनके गठबंधनों की सरकारें आने के बावजूद राज्यों में ये सुधार जारी रहे हैं। खासकर राज्यों की विधान सभाओं में स्पष्ट बहुमत वाली सरकारें स्थिर रही हैं, जिसके कारण वे सुधारों पर अमल करने का काम बेहतर कर सकी हैं। अधिकारियों को संचालन की स्वायत्तता देकर, उनमें बारबार तबादले नहीं कर तथा उच्च स्तरीय राजनेताओं को वे आसानी से मिल सकें, ऐसी व्यवस्था स्थापित कर सुधारों के बारे में राजनेताओं और अधिकारियों के बीच संवाद स्थापित किया गया

है। सुधारों की सफलता में यह एक महत्वपूर्ण कारक है।

२. सेवा की आपूर्ति सुधारने की प्रक्रिया

राज्य सरकारों ने सेवाएं आपूर्ति के मामले में स्पर्धा बढ़ाने के तत्व का विशेष उपयोग किया है, जिसके कारण विविध सेवाओं के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों का जो एकाधिकार था वह टूटा है। ऐसी प्रतिस्पर्धा पैदा होने के कारण सरकारी सेवाओं की क्षमता में सुधार हुआ है। केन्द्र सरकार ने बैंकिंग सेवाओं, बीमा सेवाओं, टेलीकॉम सेवाओं आदि में प्रतिस्पर्धा पैदा की, जिससे सरकारी सेवाओं में भी सुधार होने का अनुभव सबने किया है। राज्य सरकारों ने इससे सबक लेकर विविध सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाया है।

मध्य प्रदेश में अस्पतालों के संचालन के लिए सामुदायिक सहभागिता

मध्य प्रदेश में रोगी कल्याण समिति का गठन १९९५ में किया गया। इंदौर के कलक्टर द्वारा पहली बार इसका गठन शहर के महाराज यशवंतराव अस्पताल में सुधार के लिए किया गया। अस्पतालों में नियमित स्टाफ पर जो बड़ा वेतन खर्च होता है, उससे उबरने के लिए इस समिति के गठन का उपाय खोज निकाला गया।

जिला स्तरीय अस्पतालों में ये समितियां स्वतंत्र मंडलियों के रूप में काम करती हैं। वे मात्र अस्पतालों का संचालन ही नहीं करतीं, बल्कि उन्हें निजी दान एकत्र करने, उपभोक्ता पर शुल्क लगाने, अस्पताल की अतिरिक्त भूमि का उपयोग अधिक आय अर्जित करने तथा सफाई और अन्य कार्य बाहरी व्यक्तियों से कराने का अधिकार दिया गया है।

इन मंडलियों में स्थानीय कलक्टर, विधायक और गैर-सरकारी संगठनों के सदस्य होते हैं। ये मंडलियां जो शुल्क एकत्र करती हैं, उसे अस्पतालों में साधन-सामग्री खरीदने व उसके रखरखाव के लिए खर्च किया जाता है। बाद में राज्य के तमाम अस्पतालों, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भी इस योजना पर अमल किया गया। डॉक्टरों व अन्य कर्मचारियों में भी ये समितियां अधिक लोकप्रिय बनीं। इसका कारण यह था कि उन्हें जरूरी साधन-सामग्री मुहैया कराई गई। समितियों ने इस तरह वेतन पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से निपटने का रास्ता अपनाया। केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इस पर विचार किया है कि इस मॉडल का उपयोग समग्र देश में हो।

एक दूसरा महत्वपूर्ण सुधार यह हुआ कि लोगों का सरकार के साथ व्यवहार जिन-जिन विषयों में हो, वे व्यवहार सरलता से निपटें, ऐसी व्यवस्था ई-गवर्नेंस द्वारा की गई। ऐसी व्यवस्था की गई कि नागरिक व निजी उद्यमी दोनों अधिक बेहतर तथा तेज़ी से सूचना पा सकें व विविध योजनाओं के क्रियान्वयन की कार्यवाही में भाग ले सकें।

इसके लिए सरकार के तंत्र तथा सरकारी संस्थाओं में संगठन की प्रक्रियाएं सुधारी गईं, वरिष्ठ स्तर पर देखरेख की व्यवस्था स्थापित की गई तथा उन्हें अधिकार दिए गए, विभिन्न सरकारी संस्थाओं के बीच समन्वय किया गया तथा नागरिकों के साथ सम्बंध अधिक प्रभावी बनाने की भी व्यवस्था की गई। इसके अलावा विकेन्द्रीकरण ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो कार्य निचले स्तर पर हो सकने योग्य हों, वे कार्य ऊपरी स्तर पर न हो, इसका ध्यान कई सरकारों ने रखा। पंचायतों व पालिकाओं को अधिक कार्य सौंपने की चेष्टा राज्य सरकारों ने की है। इस संदर्भ में यह एक उल्लेखनीय पहलू है। हालांकि अभी कई राज्यों में इस प्रक्रिया को गतिशील बनाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं सरकारी संस्थाओं व विभागों का लोगों के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ाने की व्यवस्था स्थापित की गई। सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को मजबूत बनाया गया, सूचना का अधिकार स्थापित किया गया और उसे बढ़ावा दिया गया तथा जनहित याचिकाओं द्वारा अधिक उत्तरदायित्व स्थापित करने का प्रयास हुआ। इससे नागरिकों की भागीदारी बढ़ी। कई राज्यों में भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं को अधिक कानूनी अधिकार देने व भ्रष्टाचारियों को दंडित करने का आम नागरिकों का दबाव बढ़ा है, जिससे राजनेता अधिक गंभीर रूप से इस मुद्दे को हाथ पर लेने को बाध्य हुए, ऐसा कहा जा सकता है।

विविध मुद्दे

१. नागरिक समाज की भागीदारी

कुछ मामलों में नागरिक समाज के समूहों व मीडिया ने सेवा आपूर्तिकर्ताओं व राज्य पर प्रत्यक्ष दबाव लाने का प्रयास किया, जिससे परिवर्तन हो सके। कुछ मामलों में नागरिक समाज के समूहों ने सरकारी संस्थाओं के सुधारकों के साथ सहयोग करते हुए काम किया। जहां नागरिक समाज कमजोर या निष्क्रिय था वहां सुधारकों ने सुधार की मांग खड़ी करने के लिए भारी जहमत उठाई। नागरिक समाज के कई समूहों ने बेंगलूर में महानगर पालिका के साथ सहयोग कर सुधार पर निगरानी रखने का काम किया। खासकर सम्पत्ति कर व्यवस्था का कम्प्यूटरीकरण करने के संदर्भ तथा कोष आधारित लेखा व्यवस्था स्थापित करने के संदर्भ में नागरिक समाज के समूहों ने तकनीकी समर्थन भी महानगर पालिका को दिया।

मुंबई की ऑनलाइन शिकायत निगरानी व्यवस्था

बृहद मुंबई महानगर पालिका ने शिकायत निवारण की ऑनलाइन व्यवस्था की है। यह व्यवस्था 'प्रजा' नामक गैर-सरकारी संगठन द्वारा तैयार की गई। मुंबई के सभी वार्डों का यह समावेश करती है। 'प्रजा' की वेबसाइट द्वारा एक निश्चित नंबर पर फोन कर के शिकायत लिखाई जा सकती है, वार्ड कार्यालय में फोन करके भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

वार्ड कार्यालय में स्वयं जाकर भी शिकायत लिखाई जा सकती है। कुछ निश्चित समयावधि में सम्बद्ध जिम्मेदार अधिकारी को शिकायत का निवारण करना होता है। यदि निवारण न हो तो उच्च स्तरीय अधिकारी तक शिकायत जाती है। वहां भी हल न निकले तो शिकायत स्वतः ही मनपा आयुक्त तक पहुंचती है।

'प्रजा' द्वारा नियंत्रित सर्वर में सभी शिकायतों का संग्रह होता है। जब मनपा अधिकारी इस सर्वर का उपयोग करते हैं तब उन्हें शिकायतों की अंतिम स्थिति के बारे में जानकारी देनी होती है। वे शिकायतें रद्द नहीं कर सकते। संस्था इस पर नजर रखती है कि शिकायत ऊपरी स्तर पर कहां तक पहुंची यदि प्रतिभाव बहुत कमजोर हो तो संस्था सम्बद्ध अधिकारी के समक्ष प्रस्तुतिकरण करती है।

मध्य प्रदेश में नए शिक्षकों पर अंकुश रखने का काम समुदाय को सौंपा गया। फलस्वरूप स्थानीय निकायों, अभिभावकों व शिक्षकों के मंडल अधिक सक्रिय बने। इसी तरह जिले के अस्पतालों को मरीजों से शुल्क वसूली का अधिकार दिया गया तथा यह रकम अस्पतालों व साधन-सामग्री के रखरखाव के लिए उपयोग करने की छूट दी गई, जिससे अस्पतालों के संचालन में लोगों ने दिलचस्पी लेना शुरू किया। दिल्ली में स्वायत्त एपेलेट संस्था शुरू की गई, जिससे राज्य सरकार से सूचना पाना नागरिकों के लिए अधिक आसान बना। नागरिकों की भागीदारी के लिए जिस तरह अवसर पैदा हो सकते हैं उसका बेहतर उदाहरण दिल्ली ने दिया है।

२. भ्रष्टाचार उन्मूलन के तरीके

ई-शासन भ्रष्टाचार उन्मूलन में वहां सफल रहा है जहां राजनेता उसे

विभिन्न कार्य वार्डवार जिस तरह होते हैं यह व्यवस्था उसकी जनकारी देती है। इससे मनपा को ढांचागत समस्याओं के बारे में जानकारी होती है और उसके हल के लिए वे आयोजन कर सकते हैं। इस व्यवस्था के कामकाज की जानकारी प्राप्त होने से मनपा सम्बद्ध कर्मचारी और वार्ड को बढ़ावा देने की व्यवस्था कर सकती है। हालांकि अभी यह व्यवस्था हुई नहीं है। दिसम्बर-२००३ में प्रजा द्वारा जो अध्ययन किया गया, उसमें कहा गया कि ४९ प्रतिशत नागरिकों को लगा कि उनकी शिकायतें दूर हुई हैं। हालांकि अधिकृत आंकड़ा ८८ प्रतिशत था। इस बारे में संस्था चिंतित है कि खासकर वार्ड में जो शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं उन्हें इस व्यवस्था में दर्ज नहीं किया जाता।

'प्रजा' संस्था का दृष्टिकोण इस बारे में धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है। १९९९ में उसने मनपा के साथ काम की शुरुआत की। उस समय उसने नागरिकों का अधिकार पत्र बनाया और उसके अमल पर नजर रखी। इसके बाद उसने इस ऑनलाइन शिकायत निगरानी व्यवस्था पर काम शुरू किया। संस्था मनपा में उच्च स्तरीय सम्पर्क बना सकी है। वार्ड में जो जनता के साथ काम करने वाले कर्मचारी व अधिकारी हैं, उनका समर्थन इस व्यवस्था में प्राप्त करना चुनौती बना है।

समर्थन देते रहे हैं। जहां-जहां अधिक प्रतिस्पर्धा हुई है, वहां-वहां रिश्तत मांगने या लेने का व्यवहार कम हुआ है। जहां राजनीतिक समर्थन का अभाव रहा है, वहां यह व्यवस्था भी निहित स्वार्थों को भ्रष्टाचार करने से रोक नहीं सकी। यह दर्शाता है कि मात्र टेक्नोलॉजी से भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता।

साथ ही साथ स्पर्धा बढ़ने के बजाए सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि हुई है। भारत के टेलीकॉम क्षेत्र में स्थापित स्पर्धा उसका प्रमाण है। इसी तरह मध्य प्रदेश में सरकार ने किसानों को निजी क्षेत्र से सीधा करार करने की छूट दी, जिससे अधिकृत रूप से कृषि उत्पादन बाजार समितियों का एकाधिकार टूटा है और किसानों को अधिक भाव मिलने से कुछ राजनेताओं ने पूर्व की परम्पराओं में सुधार पसंद किया है। जबकि कुछ राजनेता सुधारों के विरोधी भी रहे हैं,

तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम :

सार्वजनिक अस्पतालों के लिए सस्ती दवाइयां खरीदने व आवंटन का सफल प्रयोग

तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा होने वाली दवाइयों की प्राप्ति में भ्रष्टाचार में कमी तथा अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयां सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराने के लिए तमिलनाडु चिकित्सा सेवा निगम द्वारा एक अच्छी मिसाल पेश की गई है। इस कारण सरकारी अस्पतालों की छवि सुधरी है तथा अस्पतालों का उपयोग भी बढ़ा है। सरकार के विभाग की पुरानी व्यवस्था के अनुसार दवाइयों की प्राप्ति स्वास्थ्य विभाग व जिलों के सम्बद्ध अस्पताल द्वारा की जाती थी। इस बारे में आवश्यक दवाइयों की कोई सूची तैयार नहीं की गई थी। इससे दवाइयों की अंधाधुंध खरीद होती थी, भाई-भतीजावाद था और दवाइयों के खर्च में भी वृद्धि होती थी। इस कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च बढ़ता था।

१९९४ में तमिलनाडु राज्य सरकार ने दवाइयों की प्राप्ति के लिए इस निगम की स्थापना की। सबसे पहले तो दवाइयों की खरीद के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) के दिशा-निर्देश के आधार पर २४० आवश्यक दवाइयों की सूची तैयार की गई। इसके बाद निगम ने इन दवाइयों को खुद ही खरीदने का निश्चय ही किया। इससे दवाइयां बेचने वालों के साथ सस्ते दाम पर खरीद की सौदेबाजी हो सकती है। आज दवाई बेचने वाले निविदा भरते हैं। जो निविदा भरते हैं, उनके कारखानों का

अचानक निरीक्षण किया जाता है और दवाइयों से सम्बंधित उनके दावों का निरीक्षण किया जाता है।

ये दवाइयां अन्यत्र न चली जाएं, इसके लिए उन पर निगम का लोगो लगाया जाता है और समग्र राज्य के गोदामों में उन्हें पहुंचाया जाता है। यदि दवाई पूर्तिकर्ता कम्पनी दवाई देरी से भेजे तो उसे दंडित किया जाता है। देश भर में जो प्रयोग विद्यालयों में है वहां दवाइयों के नमूने गुणवत्ता की जांच के लिए भेजे जाते हैं। एक बार इस निजी क्षेत्र की दवाइयां गुणवत्तापूर्ण साबित हो जाएं, फिर उन्हें अस्पतालों व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में भेजा जाता है। वहां पासबुक की व्यवस्था है। सम्बद्ध क्षेत्र में कौनसे रोग हैं, उसके आधार पर व कितने मरीज अस्पतालों में आते हैं, उसके आधार पर दवाइयों का आवंटन किया जाता है। यह समग्र प्रक्रिया कम्प्यूटरीकृत की गई है, जिससे जिलों व अस्पतालों में जितनी दवाइयां हैं, उन पर भी निगरानी रखी जाती है।

इसके कारण दवाइयों के भाव में भारी कमी आई। उदाहरण के तौर पर सिप्रोफ्लेक्सिन दवाई की १०० गोलियों का दाम १९९२-९४ में ५२५ रुपए था, जो २००२-०३ में घट कर ८८ रु. हो गया। राज्य के राजनेताओं ने इस योजना का गरीबों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के नाम पर स्वागत किया था।

लेकिन जहां-जहां धीमी गति से सुधार किए गए हैं, वहां उनका अमल आसानी व सफलता से हो सका है, लेकिन जहां एक साथ बड़े फेरबदल करने का प्रयास किया गया है वहां सफलता प्राप्त नहीं हुई है।

आंध्र प्रदेश में ई-सेवा कार्यक्रम में जिस प्रकार की व्यवस्था की गई और एक ही तरह का बिल उपभोक्ताओं को देने का निश्चय किया गया वह विभिन्न विभागों के अधिकारियों की स्वायत्तता पर चोट करने वाला था। इसके बावजूद वह सफल तो हुआ ही। इसी तरह कर्नाटक में भूमि कार्यक्रम में जमीन के दस्तावेज देने की नई व्यवस्था अस्तित्व में आई और इसके फलस्वरूप ग्राम पंचायत के सचिवों का अंकुश उस प्रक्रिया पर कम हो गया। हालांकि इन

उदाहरणों से एक बात साबित होती है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अवरोध दूर किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लेकिन उसमें टेक्निकल उपाय ही उपयोगी होते हैं, बल्कि राजनीतिक नेतृत्व व समर्थन उसकी सफलता के लिए आवश्यक है।

३. सुधारों को टिकाऊ बनाना

जो सुधार नागरिकों में लोकप्रिय बनें, वे राजनेताओं के विरोध के बावजूद टिके रहे। कई बार इसके लिए राजनीतिक सर्वसम्मति भी बनी। कानूनी सुधारों द्वारा इन सुधारों को समर्थन दिया गया और साथ ही साथ जो सुधार किए गए, वे व्यवसायिक दृष्टि से अच्छी व्यवस्था है, ऐसा समझा गया। ऐसे में अधिक सुधार संभव हुए तथा इसके लिए राजनीतिक सर्वसम्मति भी बनाई जा सकी। इसका

परिणाम यह आया कि सरकारें बदल जाने के बावजूद सुधार कार्यक्रम जारी रहे। तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के अनुभव बताते हैं कि जब राजनीतिक दल जिन कार्यक्रमों के समर्थन में सहमत होते हैं, तब उनका टिकाऊपन बढ़ता है। ऐसे सुधारों के कार्यक्रम चुनावी दृष्टि से भी रद्द किया जाना उचित नहीं होता।

अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि जब-जब अधिक बेहतर सेवाएं देने के साथ-साथ ग्राहकों से लिए जाने वाले शुल्क में वृद्धि की गई है तब-तब नागरिकों ने उसका विरोध नहीं किया है। इससे यही साबित होता है कि अच्छी सेवा मिलती हो तो नागरिक अधिक शुल्क भुगतान को भी तैयार होते हैं।

जिन नगरों की सरकारें अधिक आय अर्जित कर सकती हैं वहां ढांचागत सुविधाओं में सुधार दिखता है। इसके अलावा राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार इन नगरों के स्थानीय निकायों को कितना समर्थन देती हैं यह भी महत्वपूर्ण होता है। सम्बद्ध क्षेत्र में उस क्षेत्र की स्थिति के अनुकूल सुधार किए जाने के बावजूद उन सुधारों में कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका अनुकरण अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है।

खासकर गैर-सरकारी संगठनों ने विभिन्न श्रेष्ठ प्रयोगों के बारे में सूचना अन्य क्षेत्रों को देकर तथा शैक्षणिक यात्राएं आयोजित कर इस क्षेत्र में प्रचार-प्रसार का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है। इससे प्राथमिकता के क्षेत्र तय करना भी संभव हुआ है।

उपसंहार

कई राज्यों में और कई सेवाओं में अनेक सफलताएं प्राप्त हुई हैं। इसमें छह विषय महत्वपूर्ण रहे:

- (१) प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन।
- (२) कार्यवाही में सरलता।
- (३) संस्थागत प्रक्रियाओं का पुनर्गठन।
- (४) विकेन्द्रीकरण।
- (५) राजनीतिक समर्थन।
- (६) उत्तरदायित्व की व्यवस्था मजबूत बनाना।

प्राथमिक विद्यालयों, सरकारी अस्पतालों, जन परिवहन, पेयजल सुविधाओं, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आदि में जो सुधार किए गए, उनके फलस्वरूप उन सेवाओं की प्राप्ति बढ़ी है, गुणवत्ता में सुधार हुआ है, विश्वसनीयता बढ़ी है और प्रभाव भी बढ़ा है।

कई अध्ययन दर्शाते हैं कि स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा, बिजली, जमीन का प्रशासन और पॉलिसी जैसी व्यवस्थाओं में सुधार करना अभी बाकी है, क्योंकि इन सेवाओं में भ्रष्टाचार का प्रमाण काफी ऊंचा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नामक संस्था के २००२ के अध्ययन की रिपोर्ट भी यही कहती है। इसके अलावा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों के प्रति गति भी काफी धीमी होने की बात विश्व बैंक ने अपनी २००४ की अध्ययन रिपोर्ट में कही है।

तमाम सुधारों के बावजूद भी कुल मिलाकर समग्र व्यवस्था में ऐसी समस्याएं अभी भी हैं, जिससे गरीबों को दी जाने वाली सेवाओं में मोटे तौर पर सुधार नहीं हुए हैं। इससे कई बार जो सेवाएं प्रत्यक्ष रूप से गरीबों को छूती हैं वे सुधार से अछूती रह गई हैं। यह भी कहा जा सकता है कि सेवाओं की आपूर्ति क्षमता भी मांग के संदर्भ में कम है अर्थात् यह खाई पाटना भी महत्वपूर्ण है।

उदाहरण के तौर पर दुनिया भर में प्रसूता महिलाओं की मृत्यु भारत में सबसे ज्यादा होती है। इसके बावजूद केन्द्रीय स्तर पर मातृत्व स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर देखरेख रखने का काम मात्र तीन अधिकारियों को सौंपा गया है। सेवाओं की आपूर्ति बड़े पैमाने पर तथा गुणवत्ता के साथ करने में यह बाधक बनना काफी स्वाभाविक है।

कई बार मात्र कम्प्यूटरीकरण तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को ही सुधार समझ लेने की भूल की जाती है। जैसे कि कई राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों की सूचियां कम्प्यूटरीकृत की गई हैं, परंतु क्या इससे बीपीएल परिवारों को अधिक बेहतर सुविधा पाने में लाभ मिलता है? क्या बीपीएल परिवारों की ऐसी कम्प्यूटरीकृत सूची का उपयोग गरीबों को लाभ देने वाले तमाम राज्य स्तर तथा केन्द्रीय कार्यक्रमों, योजनाओं, परियोजनाओं के अमल के लिए किया गया है? मात्र कम्प्यूटरीकरण से गरीबों की समस्या हल नहीं हो जाती। यह बात

आंध्र प्रदेश का सूचना अधिकारी कार्यक्रम

आंध्र प्रदेश की सरकार ने शासन के लिए सूचना व संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग की प्रक्रिया शुरू की। इस कार्यक्रम का नाम था मुख्य सूचना अधिकारी कार्यक्रम। इसमें महत्वपूर्ण सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण देना शामिल था जिससे वे अपने विभाग से बेहतर ढंग से सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सूचना प्राप्त कर सकें। अहमदाबाद के भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा इस कार्यक्रम की डिजाइन तैयार की गई और राज्य सरकार को सौंपी गई।

यह कार्यक्रम पूर्णतः आवासीय कार्यक्रम था। इसमें ८ सप्ताहों की कक्षाएं थीं और चार सप्ताहों का परियोजना कार्य था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सहभागी अधिकारियों को राज्य शासन में सूचना व्यवस्थाओं की परियोजनाओं के अमल व आयोजन में नेतृत्व की

भूमिका अदा करने के लिए तैयार करना था। यह भी कार्यक्रम का उद्देश्य था कि वे सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में समग्रतया दृष्टिकोण अपनाए तथा तमाम हितधारकों के मत को ध्यान में लें। मात्र तकनीकी ज्ञान से ही सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग सफल नहीं होता, बल्कि प्रशासनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य फेरबदलों से सफल होता है, इस बात का ध्यान रखा गया।

चार वर्ष के दौरान ऐसे पांच कार्यक्रम किए गए। आई.ए.एस., आई.पी.एस. और राज्य प्रशासनिक सेवा के लगभग १२० मध्य स्तर व वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। आंध्र प्रदेश में ई-शासन की परियोजनाओं के निर्माण व क्रियान्वयन में इन अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

इन सवालों से समझी जा सकती है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा उत्तरदायित्व स्थापित करने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था अत्यंत कमजोर दिखाई पड़ती है। प्रशासन की जटिलता और कार्यवाहियों की उलझन सामान्य नागरिकों के लिए समझना तथा उससे अपना काम निकालना अत्यंत मुश्किल लगता है।

मतदाता परिचय-पत्र प्राप्ति, राशन कार्ड में नाम शामिल करने, सहकारी मंडली का पंजीकरण कराने, पेयजल या सीवरेज कनेक्शन की प्राप्ति की कार्यवाहियां अभी भी उतनी ही जटिल और उलझनभरी हैं। फलस्वरूप पारदर्शिता कम होती है और विविध कार्यों के लिए एजेंटों की प्रथा विकसित होती जाती है। आर.टी.ओ. के किसी भी कार्य के लिए एजेंट मानो अनिवार्य बन गया है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड आया है, लेकिन इससे एजेंट प्रथा समाप्त नहीं हुई है।

काम तेजी से हो, इसके लिए लोगों को रिश्तत देनी पड़ती है। यह स्थिति लगभग तमाम सेवाओं में व्याप्त है। इससे यह नहीं माना जा सकता कि आम आदमी की परेशानियों का हल सरकारी सेवाओं के संदर्भ में प्राप्त हो चुका है। उत्तरदायित्व के साथ एक और

समस्या सरकारी सेवाओं का आयोजन, क्रियान्वयन, देखरेख तथा मूल्यांकन में नागरिकों की भागीदारी या सहभागिता की है। प्रत्येक स्तर की सरकार को ऐसी सहभागिता बनाने की व्यवस्था और तंत्र खड़ा करना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामसभा एक ऐसा तंत्र है।

इसी प्रकार नगर स्तर पर वॉर्ड सभा ऐसा तंत्र है। पंचायतों में सामाजिक न्याय समितियां तथा नगरों व महानगरों में विविध प्रकार की कानूनी तौर पर गठित समितियां इस प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराती हैं, परंतु मात्र निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी की बजाए आम नागरिकों व उनके संगठनों की सहभागिता के लिए हर स्तर की सरकारों को प्रयास करना चाहिए।

जलसाव क्षेत्र विकास कार्यक्रम सफल हुआ, उसका एक महत्वपूर्ण कारण विचार, आयोजन, अमल तथा देखरेख एवं मूल्यांकन में तमाम स्तर पर लोगों की भागीदारी थी। जिस तरह यह कार्यक्रम सफल हुआ, उसी तरह विविध सेवाओं की आपूर्ति के मामले में भी जनभागीदारी स्थापित करने के प्रयास विशेष रूप से करने की आवश्यकता है।

शेष पृष्ठ 20 पर

राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति

भारत सरकार के योजना आयोग के स्वैच्छिक कार्य विभाग ने मई-२००७ में राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति घोषित की है। इसमें इसके उद्देश्य दर्शाए गए हैं और साथ ही साथ विकास के स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ सरकार की भागीदारी जिस तरह हो सकती है उसके नीतिगत पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। इस नीति का अक्षरशः अनुवाद यहां दिया गया है। इसके अलावा 'प्रिया' के संस्थापक राजेश टंडन का इस नीति के बारे में अभिप्राय भी दिया गया है।

१. आमुख

१.१ यह नीति स्वतंत्रत, सृजनात्मक और प्रभावी स्वैच्छिक क्षेत्र को उसके कार्यों व स्वरूपों की विविधता के साथ प्रोत्साहन देने, सक्षम बनाने और शक्तिशाली बनाने के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करती है जिससे वह भारत के लोगों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में योगदान कर सके।

१.२ स्वैच्छिक क्षेत्र ने गरीबी, अभाव, भेदभाव और दरकिनारी के प्रति जागृति स्थापन के द्वारा, सामाजिक संगठन द्वारा, सेवा की आपूर्ति के द्वारा और प्रशिक्षण, शोध तथा हिमायत द्वारा नए हल खोजने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। स्वैच्छिक क्षेत्र लोगों व सरकार के बीच प्रभावी गैर-राजनीतिक कड़ी के रूप में काम करता रहा है। यह नीति स्वैच्छिक क्षेत्र को विविध क्षेत्रों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है उसे मान्य रखती है और सरकार द्वारा तथा निजी क्षेत्र द्वारा स्थानीय, प्रांतीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ सहयोग स्थापित करने की बढ़ती जरूरत को स्वीकारता है।

२. नीति का कार्यक्षेत्र

२.१ इस नीति में स्वैच्छिक संगठनों में ऐसे संगठनों का समावेश हुआ है जो वंशानुगत, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, धर्मार्थ या वैज्ञानिक तथा

तकनीकी विषयों को ध्यान में रख कर सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े हैं। स्वैच्छिक संगठनों में औपचारिक तथा अनौपचारिक समूहों का समावेश होता है। जैसे समुदाय आधारित संगठन, गैर-सरकारी विकासोन्मुख संगठन, धर्मार्थ संगठन, समर्थक संगठन, ऐसे संगठनों के नेटवर्क या महामंडल तथा व्यवसायी सदस्यता रखने वाले मंडल।

२.२ इस नीति के तहत शामिल होने के लिए स्वैच्छिक संगठनों में कुल मिला कर निम्नानुसार लक्षण होने चाहिए:

- (क) वे निजी हों या सरकार से अलग हों।
- (ख) जो मुनाफा मिला हो उसे वे अपने मालिकों या निदेशकों को लौटाते न हों।
- (ग) वे स्वतः चलते हों यानी सरकार द्वारा नियंत्रित न हों।
- (घ) वे पंजीकृत संगठन हों या अनौपचारिक समूह हों, उनके निश्चित उद्देश्य हों।

३. नीति के उद्देश्य

३.१ नीति के निश्चित उद्देश्य नीचे दिए गए हैं:

- ३.१.१ स्वैच्छिक संगठनों के लिए अनुकूल माहौल बनाना जिससे उनकी उद्यमता व प्रभाव को प्रज्वलित करे तथा उसकी स्वायत्तता की रक्षा करे।
- ३.१.२ भारत और विदेश से जरूरी वित्तीय संसाधन कानूनी तौर पर प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सक्षम बनाना।
- ३.१.३ ऐसी व्यवस्थाओं की पहचान करना जिससे सरकार परस्पर विश्वास तथा आदर के सिद्धांतों के आधार पर सामूहिक जवाबदेही के साथ स्वैच्छिक संगठनों के साथ काम करें।
- ३.१.४ स्वैच्छिक संगठनों को शासन व संचालन की पारदर्शी एवं उत्तरदायी व्यवस्था स्वीकार करने के लिए बढ़ावा देना।

इन उद्देश्यों को सिद्ध करने के तरीकों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है:

४. स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए अनुकूल माहौल की स्थापना

४.१ स्वैच्छिक संगठनों की स्वतंत्रता सार्वजनिक हित के विरुद्ध काम करने वाले सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिबलों को चुनौती देने के लिए, विकास के वैकल्पिक ढांचे खोजने तथा गरीबी, अभाव व अन्य सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए नए रास्ते खोजने का माहौल स्थापित करती है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि स्वैच्छिक संगठनों के साथ सम्बंधित तमाम कानून, नीतियां, नियम और नियमन उनका उत्तरदायित्व स्थापित करने के साथ उनकी स्वायत्तता का स्पष्ट रक्षण करना चाहिए।

४.२ स्वैच्छिक संगठन केन्द्रीय या राज्य के कानूनों के तहत मंडलियों, धर्मार्थ ट्रस्टों या गैर-मुनाफाकारी कम्पनियों के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं। कुछ राज्यों ने १८६० के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट को संशोधन के साथ स्वीकारा है, जबकि कुछ राज्यों के अपने स्वतंत्र कानून हैं। इसी प्रकार धर्मार्थ ट्रस्ट सम्बंधी कानून हर राज्य में अलग-अलग हैं। समय-समय पर उनमें से कई कानून और उनसे सम्बंधित नियम बहुत जटिल व नियंत्रक बन गए हैं। इससे विलम्ब, परेशानी और भ्रष्टाचार पनपा है। सरकार व स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच की नोडल एजेंसी के रूप में योजना आयोग व राज्य सरकारें अपने वर्तमान कानूनों व नियमों की समीक्षा करें तथा संभव हो, तो उन्हें सरल बनाएं, उदार बनाएं व उनका नवीनीकरण करें, इसके लिए बढ़ावा दे। गैर-मुनाफाकारी कम्पनियों के पंजीकरण को सुगम बनाने के लिए सरकार कम्पनी अधिनियम-१९५६ की धारा २५ के तहत लाइसेंस, पंजीकरण और सदस्य-कर्मचारियों को मुआवजा सहित कार्यवाही को सरल बनाने के लिए कदमों पर विचार करेगी।

४.३ स्वैच्छिक संगठनों खासकर देश के विभिन्न भागों व विदेशों में भी काम करने की इच्छा रखने वाले संगठनों के पंजीकरण के लिए सरकार समग्र भारत में एक वैकल्पिक कानून बनाने के लिए सरल व उदार कानून बनाने के औचित्य की भी जांच करेगी। ऐसा कानून केन्द्र के मौजूदा व राज्य के मौजूदा

कानूनों के साथ अस्तित्व में आएगा। अतः स्वैच्छिक संगठनों के पास उनकी गतिविधियों के क्षेत्र व स्वरूप के आधार पर किसी एक या उससे अधिक कानून के तहत पंजीकरण कराने का विकल्प होगा।

४.४ स्वैच्छिक क्षेत्र खासकर उसके शासन, उत्तरदायित्व और पारदर्शिता के बारे में काफी सार्वजनिक चर्चा हुई है। ऐसा व्यापक रूप से माना जाता है कि स्वैच्छिक क्षेत्र में अनुकूल स्वनियमन द्वारा इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। स्वैच्छिक क्षेत्र की स्वतंत्र, राष्ट्रीय स्तर व स्वनियमनकारी संस्था स्थापित हो तथा बाद में उसे मान्यता देने के लिए सरकार प्रोत्साहन करेगी।

४.५ साथ ही साथ स्वैच्छिक क्षेत्र को अधिक सार्वजनिक जांच के लिए खुला कर उसमें लोगों का विश्वास मजबूत बनाने की जरूरत है। सरकार ऐसे स्वैच्छिक संगठनों के संदर्भ में बुनियादी दस्तावेज उपलब्ध कराने के मानदंड दाखिल करने के लिए केन्द्रीय व राज्य स्तर की संस्थाओं को बढ़ावा देगी, जो सरकारी संस्थाओं से वित्तीय कोष प्राप्त कर रहे हैं। ये मानदंड इंटरनेट द्वारा सरलता से सार्वजनिक क्षेत्र में रखे जाएं तथा इससे लोग उन पर नजर डालें, ऐसी भावना उसमें हो।

४.६ स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए सार्वजनिक दान वित्तीय कोष महत्वपूर्ण स्रोत है और वह बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है तथा बढ़ना भी चाहिए। इस प्रक्रिया में आयकर में दिए जाने वाले प्रोत्साहन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। देश में आज स्टॉक व शेयर सम्पत्ति का एक महत्वपूर्ण स्वरूप बने हैं। स्वैच्छिक संगठनों को शेयर व स्टॉक ऑप्शन्स की तब्दीली को बढ़ावा देने के लिए सरकार दान के इस स्वरूप के लिए अनुकूल कर राहत देने पर विचार करेगी। सरकार आयकर अधिनियम के तहत धर्मार्थ परियोजनाओं को कर मुक्त करने की पद्धति को सरल बनाने तथा सुधारने का प्रयत्न करेगी। साथ ही साथ इन प्रोत्साहनों का पाटिया मंडलों द्वारा निजी वित्तीय लाभ के लिए दुरुपयोग न होने देने के लिए सरकार प्रशासनिक व

अज्ञात नीति : नीति नहीं होने के बराबर है

- श्री राजेश टंडन

दि. ३. ६. २००७ के बिजनेस स्टैण्डर्ड अखबार को दिए एक साक्षात्कार में 'प्रिया' के संस्थापक श्री राजेश टंडन ने स्वैच्छिक क्षेत्र सम्बंधी सरकार की नीति के बारे में अभिप्राय यहां प्रस्तुत किए गए हैं। अखबार में प्रस्तुत प्रश्नोत्तरी अक्षरशः निम्नानुसार है:

प्रश्न: गैर-सरकारी संगठनों सम्बंधी जिस नई नीति को मंत्री मंडल ने मंजूरी दी है वह व्यापक रूप से क्या दर्शाती है ?

सरकार ने पहली बार ऐसी नीति बनाई है। दूसरे, यह नीति गैर-सरकारी संगठनों की सर्वाधिक सहभागिता की व्याख्या देती है। सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक व शैक्षणिक बातों पर आधारित जन सेवाएं आपूर्ति करने वाले संगठनों, अनौपचारिक समूहों, धर्मार्थ संस्थाओं के नेटवर्क तथा ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन जैसे संगठन का भी इसमें समावेश किया गया है।

प्रश्न: अब आपको भविष्य में कौनसे महत्वपूर्ण फेरबदल दिखाई देते हैं ?

इस नीति का उद्देश्य गैर-सरकारी संगठनों के लिए अनुकूल माहौल बनाना है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसायटीज एक्ट तथा आयकर अधिनियम को आधुनिक बनाने व सुधारने की जरूरत है। नीति में इस बात को स्वीकारा गया है, जो दर्शाता है कि सरकार पंजीकरण सम्बंधी कानूनों को सरल बनाने, सुधारने व उदार बनाने के कदमों पर गौर करेगी। सोसायटी के रूप में पंजीकृत तमाम संगठनों को आयकर मुक्ति मिलती है अर्थात् जो कोई धर्मार्थ नहीं करते उन्हें भी कर से मुक्ति प्राप्त होती है।

प्रश्न: विदेशी प्रदान नियमन अधिनियम संशोधन विधेयक (एफसीआरए संशोधन विधेयक) जिन आलोचनाओं का सामना कर रहा है उसके बारे में क्या कहना है ?

जो विदेशी चंदा प्राप्त करते हैं उनसे ही यह विषय जुड़ा है। नीति दर्शाती है कि वह संयुक्त परामर्शक समूह के साथ विचार-विमर्श द्वारा उसकी समीक्षा करेगा। इस समूह में गैर-सरकारी संगठन भी होंगे। इसका अर्थ है कि गैर-सरकारी संगठनों की आवाज उन विषयों में शामिल होगी जो उनसे सम्बंधित है।

प्रश्न: क्या राज्य सरकारें अब पंजीकरण सम्बंधी कानून बदलेंगी ?

हम ऐसी आशा रखते हैं और इसके लिए अभियान चलाएंगे। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में सरकार ने प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन के संचालक मंडल में सरकारी अधिकारी की अनिवार्यता के लिए अपने पंजीकरण कानून में सुधार किया है। सुनामी के बाद चंदा आने की शुरुआत होने के बाद यह हुआ। हस्तक्षेप का यह खराब उदाहरण है और गैर-सरकारी संगठनों में सहकारी मंडलियों में जैसा हुआ है वही सरकार के अधिक हस्तक्षेप से यहां भी होगा। उत्तर प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों को हर पांच वर्ष में अपना पंजीकरण नवीनीकृत कराना पड़ता है। उत्तराखंड में प्रत्येक गैर-सरकारी संगठन को पुनः पंजीकरण कराने को कहा गया है। अतः हम चाहते हैं कि केन्द्र एक मिसाल रूपी कानून बनाए और सभी राज्य उसे स्वीकारें, लेकिन इन सबसे पहले इस नीति का तमाम राज्यों में प्रचार-प्रसार होना चाहिए। प्रधानमंत्री को स्वयं ही इसकी घोषणा करनी चाहिए और मुख्य मंत्रियों को इस बारे में लिखना चाहिए। अज्ञात नीति तो नीति नहीं होने के बराबर है।

प्रश्न: गैर-सरकारी संगठनों के लिए विश्वसनीयता के मानदंड और मानदंडों की स्थापना के बारे में क्या कहेंगे ?

एक लाठी से सबको नहीं हांका जा सकता। खासकर जब गैर-सरकारी संगठनों के लिए विश्वसनीयता के मानदंड तय करने की बात हो तब यह तथ्य लागू होता है। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों को स्वीकारना चाहिए। कोई यह नहीं कह सकता कि यदि प्राइसवॉटर हाउस कूपर्स किसी गैर-सरकारी संगठन का ऑडिट करे तो समस्या हल हो जाएगी। किसी सुदूर गांव में काम करने वाले छोटे समूह के लिए यह अनुकूल नहीं होगा।

प्रश्न: तो फिर हल क्या है ?

हम २००० गैर-सरकारी संगठनों के समूह 'वाणी' में विशेषज्ञों का एक समूह बना कर प्रयास कर रहे हैं जो विविध प्रकार के गैर-सरकारी संगठनों को विविध दृष्टिकोण लागू करने का रास्ता खोज कर देगा।

अधिक जानकारी के लिए: <http://www.pria.org>

दंडात्मक कार्यवाही सख्त बनाने पर विचार करेगी।

लिए औपचारिक व्यवस्था हो।

४.७ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय कोष देश के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने तथा उनके काम में छोटी, परंतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विदेशी वित्तीय कोष चाहने वाले स्वैच्छिक संगठन को विदेशी प्रदान नियमन अधिनियम (एफसीआरए) के तहत पंजीकरण कराना ही पड़ता है। यह कानून छानबीन सम्बंधी कड़े मानदंड अपनाता है और इसके कारण कई बार स्वैच्छिक संगठनों की विदेशी धन प्राप्त करने की क्षमता पर नियंत्रण आता है। जब मंजूरी दी जाती है तब बैंक अकाउंट में कोष होना चाहिए, आदि जैसी समस्याएं पैदा होती हैं और इस तरह स्वैच्छिक संगठनों को कई स्थानों पर काम करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सरकार एफसीआरए की समीक्षा करेगी तथा स्वैच्छिक संगठनों पर लागू प्रावधानों को सरल बनाएगी। इसके लिए समय-समय पर सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाने वाले संयुक्त परामर्शक समूह के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा।

४.८ केन्द्र सरकार ने सामाजिक व आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सीधी सहायता देने के लिए द्विपक्षीय संस्थाओं के लिए दिशा-निर्देश तय किए हैं। ये ऐसे कोष व उनके उपयोग पर एफसीआरए द्वारा तथा आर्थिक मामलों के विभाग के नियमनों द्वारा नियंत्रण लगाते हैं। इस व्यवस्था को सम्बंधित मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाने वाले परामर्शक समूह के साथ विचार-विमर्श कर सरल बनाने की जरूरत है।

४.९ सरकार तमाम प्रस्तुत केन्द्रीय व राज्य सरकार की संस्थाओं को स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ रचनात्मक संबंध के बारे में सेवा काल से पहले और सेवा काल के दौरान प्रशिक्षण के सत्र शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देगी। ऐसी संस्थाओं को स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ काम करने के लिए समयबद्ध कार्यवाही दाखिल करनी चाहिए। इसमें पंजीकरण, आय कर की मंजूरी, वित्तीय सहायता आदि का समावेश हो। स्वैच्छिक संगठनों की शिकायतें दर्ज करने के लिए तथा उनके हल के

५. विकास में भागीदारी

५.१ स्वैच्छिक क्षेत्र विकास की प्रक्रिया में विशेषकर सामुदायिक सहभागिता द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। स्वैच्छिक संगठन वैश्विक दृष्टिकोण, प्रतिबद्ध निपुण ज्ञान, स्थानीय अवसर और अवरोधों के बारे में जानकारी तथा कदाचित सबसे महत्वपूर्ण उन समुदायों व खासकर लाभ वंचित लोगों के साथ अर्थपूर्ण संवाद शुरू करने की क्षमता दे सकता है। अतः यह अनिवार्य है कि सरकार व स्वैच्छिक क्षेत्र साथ मिल कर काम करें। जहां उचित हो, वहां ऐसी भागीदारी में पंचायती राज संस्थाओं, पालिकाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और निजी क्षेत्र के संगठनों का भी समावेश किया जा सकता है।

५.२ सरकार तथा स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी का अर्थ है कि सामूहिक लक्ष्य पहचानना और पूरक भूमिकाएं तय करना। यह परस्पर विश्वास तथा आदर के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित हो और इसमें सामूहिक जिम्मेदारी व अधिकार हों। ये सिद्धांत भागीदारी की कार्य शर्तों में स्पष्ट होनी चाहिए। सहयोग की औपचारिक और अनौपचारिक व्यवस्थाओं में भी वह स्पष्ट होना चाहिए।

५.३ यह नीति भागीदारी के तीन साधन स्वीकारती है:

१. विचार-विमर्श। यह केन्द्र, राज्य व जिला स्तर पर संवाद की औपचारिक प्रक्रिया द्वारा हो।
२. लम्बी अवधि में भी टिके, ऐसे सामाजिक एकत्रीकरण का महत्व हो वहां जटिल हस्तक्षेप करने के लिए रणनीतिक सहयोग हो।
३. मानदंडीकृत योजनाओं द्वारा परियोजनाओं के लिए धन देना।

सरकार इन बातों पर सावधानी बरतेगी कि इन भागीदारी के तीन साधनों पर मंत्रालयों व राज्यों द्वारा तैयार की जाने वाली वार्षिक योजनाओं में योग्य ध्यान दिया जाए।

निम्न पैरा में इन तीन साधनों के संदर्भ में उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा की गई है।

५.४ सरकार केन्द्र सरकार के सम्बंधित विभाग और राज्य सरकारें स्वैच्छिक क्षेत्र व सरकार के प्रतिनिधियों के संयुक्त परामर्शक समूहों, मंचों या संयुक्त तंत्र की स्थापना को बढ़ावा देगी। वह जिला प्रशासनों, जिला योजना मंडलों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, जिला पंचायतों व स्थानीय सरकारों को ऐसा करने के लिए बढ़ावा देगी। ये समूह स्थायी मंच के रूप में काम करेंगे। वे साथ मिल कर काम करने के अवसरों व व्यवस्थाओं की पहचान के लिए तथा मत, विचार और सूचना के आदान-प्रदान के स्पष्ट आदेश के साथ काम करेंगे। सरकार इन समूहों या मंचों में विविध प्रकार के स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता करने के अनुकूल व्यवस्था दाखिल करेगी।

५.४.१ स्वैच्छिक क्षेत्र की कुशलता का उपयोग महत्वपूर्ण समस्याओं के निवारण के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा जिन समितियों, कार्यदलों व सलाहकार समितियों का गठन किया जाएगा, उसमें स्वैच्छिक क्षेत्र के विशेषज्ञों का समावेश कर किया जाएगा।

५.५ देश विविध प्रकार की जटिल समस्याओं का सामना कर रहा है। उनके लिए अधिक स्वीकृत व बहुक्षेत्रीय निवारणों की जरूरत है कि जहां खासकर सटीक सामाजिक एकत्रीकरण महत्वपूर्ण हो। इसमें गरीबी का निवारण, कुशलता तथा प्रोत्साहन, उद्यमता का विकास, महिलाओं की अधिकारिता, जनसंख्या में स्थिरता, एच.आई.वी. और एड्स का प्रतिकार, जल संसाधनों का संचालन, प्राथमिक शिक्षा व वन संचालन जैसी समस्याओं का समावेश होता है। इन क्षेत्रों में सरकार व स्वैच्छिक संगठनों के बीच रणनीतिक सहयोग की काफी आवश्यकता है। इसके लिए लम्बी अवधि के राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए जाएं और उनके उद्देश्य हासिल करने के लिए कई तरह की रणनीतियों, पद्धतियों और गतिविधियों का

उपयोग किया जाए। सरकार स्वैच्छिक संगठनों के साथ भागीदारी में लागू किए जाने वाले राष्ट्रीय कार्यक्रमों की पहचान करेगी। ऐसे प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यक्रम में पूर्व में अच्छा कार्य करने वाले तथा कुछ हद तक बड़े पैमाने पर काम करने की क्षमता रखने वाले प्रतिष्ठित और मध्यम या बड़े स्तर के स्वैच्छिक संगठनों को शामिल किया जाएगा। सरकार यह देखेगी कि ऐसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों को योजनागत दस्तावेजों में योग्य महत्व दिया जाए।

५.६ सरकार व स्वैच्छिक क्षेत्र के बीच की भागीदारी का तीसरा साधन परियोजना के लिए धन प्रबंधन का है। बहुत बड़ी संख्या में सरकारी संस्थाएं स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने की योजनाएं चलाती हैं। ये योजनाएं सामान्यतः सर्वेक्षण, संशोधन, कार्यशालाओं, दस्तेवाजीकरण, जागृति, प्रशिक्षण और जनकल्याण की सुविधाएं मुहैया कराने और चलाने से सम्बंधित ऐसी अनेक प्रकार की गतिविधियों से सम्बंधित होती हैं। परियोजनाओं के लिए अनुदान सरकार को अपनी सीधी भागीदारी के बिना ही उसकी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी साधन बनाता है। छोटे व मध्यम स्तर के स्वैच्छिक संगठनों को समर्थन देने के लिए ऐसा अनुदान महत्वपूर्ण स्रोत बनता है। इसके बावजूद ऐसे सहायक अनुदान वाली योजनाओं की प्रभाविता के बारे में वाजिब ढंग से चिंता व्यक्त की जाती है। धन देने की योजनाओं की पुरानी-परम्परागत पद्धति, अंधाधुंध कार्यवाहियां, अयोग्य स्वैच्छिक संगठनों का चयन, योग्य अमल न होना तथा धन का दुरुपयोग जैसे कुछ कारण ऐसे अनुदान के उद्देश्यों को सफल नहीं होने देते। सम्बंधित सरकारी संस्थाओं को स्वैच्छिक संगठनों को दिए जाने वाले जन कोष पर उचित देखरेख रखने के लिए तथा उत्तरदायित्व स्थापित करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा।

५.६.१ कुछ केन्द्रीय संस्थाओं ने परियोजना के लिए अनुदान देने की प्रक्रिया को विकेंद्रित कर अच्छे परिणाम हासिल किए हैं। प्रत्यक्ष रूप से विविध योजनाओं का प्रबंधन

करने की बजाए वे प्रादेशिक या राज्य स्तर की अंतरिम संस्थाओं को अपनी ओर से उन योजनाओं के अमल के लिए नियुक्त करती हैं। इससे स्वैच्छिक संगठनों के अधिक बेहतर चयन व देखरेख के लिए मजबूत संवाद पैदा होता है। इन अंतरिम संस्थाओं में स्वैच्छिक संगठनों के मंडलों, व्यवसायी संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं, राज्य सरकार की संस्थाओं या बहुहितधारक स्थायी समितियों का समावेश होता है। सरकार ऐसे विकेन्द्रित अनुदान देने की पद्धति के अनुभव की समीक्षा करेगी और केन्द्रीय संस्थाओं के लिए उचित सिफारिशें करेगी।

५.६.२ ऐसा मानने के लिए कारण है कि स्वैच्छिक संस्थाओं को मान्यता देने से कोष देने सम्बंधी अधिक बेहतर निर्णय किए जा सकेंगे और कोष देने की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी। इसके अलावा ऐसी मान्यता स्वैच्छिक संगठनों को बेहतर शासन, संचालन और कार्य के लिए प्रोत्साहन दे सकती है। सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र सहित विविध संस्थाओं को ऐसी मान्यता के लिए वैकल्पिक पद्धतियां विकसित करने को बढ़ावा देगी। ऐसी पद्धतियों पर व्यापक चर्चा हो तथा स्वैच्छिक क्षेत्र में उसे स्वीकृति मिले, इसके लिए समय दिया जाएगा और उसके बाद ही स्वैच्छिक संगठनों को सरकारी अनुदान देने के संदर्भ में उसे लागू करने पर विचार किया जाएगा।

६. स्वैच्छिक क्षेत्र को मजबूत बनाना

६.१ भारतीय समाज में धर्मार्थ की सुस्थापित परम्परा है। अनेक प्रकार की कर राहतें धर्मार्थ संगठनों को दान देने का मार्ग प्रशस्त कर देती हैं। इसके बावजूद जनसेवा के लिए निजी सम्पत्ति को मोड़ने की कई संभावनाएं अभी भी सुषुप्त अवस्था में पड़ी हैं। सरकार पात्र स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के लिए वर्तमान व नई स्वायत्त धर्मार्थ संस्थाओं व निजी प्रतिष्ठानों को समर्थन देगी और बढ़ावा देगी। वह सार्वजनिक व निजी दाताओं के बीच संवाद बना कर भी बढ़ावा देगी जिससे वे दान देने में तथा धन एकत्र करने की रणनीतियों का श्रेष्ठ तरीके से लाभ ले

सकें।

६.२ सुशासन में तमाम हितधारकों के प्रति उत्तरदायित्व तथा कामकाज में पारदर्शिता महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। यह अपेक्षित है कि स्वैच्छिक क्षेत्र इन मामलों में उसके अपने मानदंड तय करे। स्वैच्छिक संगठनों के उद्देश्य व प्रवृत्तियां अलग-अलग होते हैं। अतः ऐसी अपेक्षा करना अव्यावहारिक है कि वे उत्तरदायित्व व पारदर्शिता के लिए समान मानदंड अपनाएं। सरकार समर्थन रूपी संगठनों व स्वैच्छिक संगठनों के नेटवर्कस तथा महामंडलों को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तथा सर्वसम्मति बनाने के लिए बढ़ावा देगी। वह ऐसी संस्थाओं को स्वैच्छिक संगठनों को स्वीकृत व उपयोगी मानदंडों को अपनाने के लिए सलाह देने तथा मदद करने के लिए भी प्रोत्साहन देगी। सरकार स्वैच्छिक संगठनों में शासन की जो श्रेष्ठता होगी उसके श्रेष्ठ तरीकों को प्रसिद्धि देकर मान्यता भी प्रदान करेगी।

६.३ स्वैच्छिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए तालीम एक महत्वपूर्ण जरूरत है। हालांकि कई बार उसकी अवगणना की जाती है, क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाले तालीम कार्यक्रमों का वाजिब भाव पर अभाव व्याप्त है। सरकार स्वैच्छिक क्षेत्र में प्रवेश के इच्छुकों को तालीम देने तथा जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें भी तालीम देने के लिए संगठनों की मदद करेगी और बढ़ावा देगी। अभी सरकार के पास जो तालीम संस्थाओं में भौतिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वह ऐसे समर्थन के बूते उपलब्ध कराएगी।

६.४ विकासोन्मुखी समस्याओं में संस्थागत, तकनीकी और सामाजिक नवीनतम दृष्टिकोण स्वैच्छिक कार्य का एक अनिवार्य अंतर्गत भाग है। सरकार ऐसे नवीनतम और बुनियादी कार्य को बढ़ावा देगी तथा मान्यता देगी।

६.५ विविध क्षेत्रों व विविध स्तरों पर काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की सूचना की नींव स्वैच्छिक क्षेत्र में ही संचार के

शेष पृष्ठ 20 पर

बाल विवाह रोकने के कार्यक्रम और परिबल

विकासशील देशों में बाल विवाह तथा उसके कारण लड़कियों पर होने वाले प्रभावों को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। युनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वुमेन, पेक्ट तथा आईजीडब्ल्यूजी द्वारा संयुक्त रूप से बाल विवाह रोकने के कार्यक्रमों और परिबलों का विश्लेषण वैश्विक स्तर पर किया गया है। अप्रैल-२००७ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट का सारांश यहां श्री हेमन्तकुमार शाह द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तावना

विकासशील देशों में बाल विवाहों की मौजूदा पद्धति और प्रणालियां तथा उसके कन्याओं पर होने वाले प्रभाव को लेकर दुनिया भर में चिंता व्याप्त हो रही है। २००६ की पॉपुलेशन काउंसिल की रिपोर्ट में कहा गया है कि विकासशील जगत में हर सात में से एक कन्या का विवाह १५ वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। विकासशील देशों में ३३.१० करोड़ लड़कियों में से लगभग आधी लड़कियां अपनी २०वीं वर्षगांठ के पहले शादी करती हैं। २००४ का ऐसा एक अनुमान है कि आगामी दशक के दौरान और १० करोड़ लड़कियां यानी रोजाना २५ हजार से अधिक लड़कियां इतनी कम उम्र में शादी करेंगी।

बाल विवाह सम्बंधी मौजूदा उपलब्ध साहित्य बाल विवाह रोकने की मौजूदा दर, उसके परिणामों व उसके कारणों पर चर्चा करता है, लेकिन बाल विवाह के साथ जो जोखिम व रक्षात्मक परिबल जुड़े हुए हैं, उनका विश्लेषण बहुत कम किया गया है। इसके अलावा बाल विवाह रोकने के लिए हाल में जो कार्यक्रम चलते हैं, उनके बारे में शायद ही कोई कुछ जानता है। किन कार्यक्रमों से बाल विवाह रोके जाते हैं या नहीं रोके जाते, उनकी जानकारी भी नहीं होती। इस संशोधन में जो विश्लेषण किया गया उसमें दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

(१) बाल विवाहों से क्या जोखिम पैदा होते हैं या उनसे सुरक्षा के

लिए क्या करना चाहिए? अंततः बाल विवाह रोकने पर किस तरह ध्यान केन्द्रित करना चाहिए?

(२) बाल विवाह रोकने के लिए विकासशील देशों में किस तरह के कार्यक्रम किन दृष्टिकोणों से चलते हैं और क्या ये कार्यक्रम प्रभावी हैं?

इस अध्ययन में जिन २० देशों को शामिल किया गया है, उनमें भारत, नेपाल, बंगलादेश तीनों एशियाई देश हैं। शेष देशों में नाइजर, चाड, माली, गिनी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मोजैम्बिक, युगाण्डा, बुर्किना फासो, इथोपिया, लाइबेरिया, यमन, कैमरून, ओरिट्रिया, मालावी, नाइजीरिया और जांबिया जैसे अफ्रीका तथा निकारागुवा जैसे अमरीका महाद्वीप के देशों का समावेश होता है। ये ऐसे देश हैं जहां १८ वर्ष से कम उम्र में शादी करने वाली लड़कियों का प्रमाण ४२ प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा अन्य ४८ देश हैं जहां १८ वर्ष से कम उम्र में विवाह करने वाली लड़कियों का प्रमाण ७.९ से ४१.२ प्रतिशत तक है।

भारत में ५ प्रदेशों में बाल विवाह का प्रमाण काफी ऊंचा है। मध्य प्रदेश में ३७, आंध्र प्रदेश में ७१, राजस्थान में ६८ और बिहार में ६७ तथा उत्तर प्रदेश में ६४ प्रतिशत लड़कियों की शादी १८ वर्ष से कम उम्र में होती है, लेकिन समग्र देश में यह औसत ५० प्रतिशत है।

बाल विवाह रोकने वाले कार्यक्रम

इस अध्ययन में बाल विवाह रोकने के लिए विभिन्न देशों में जो कार्यक्रम चलते हैं उनका विश्लेषण किया गया। बाल विवाह रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं वे वास्तव में बाल विवाह में कमी में उपयोगी हैं या नहीं इसका जवाब नहीं मिल पाता। जिन ६६ कार्यक्रमों का विश्लेषण किया गया उनमें से मात्र १० प्रतिशत कार्यक्रम ही ऐसे थे जिनके परिणामों के बारे में रिपोर्ट तैयार की गई। बहुत कम कार्यक्रम ऐसे थे जिनके मूल्यांकन के बारे में

भारत में बाल विवाह सम्बंधी स्थिति

१. १८ वर्ष से कम उम्र में विवाह करने वाली लड़कियों का प्रमाण (१९९८-९९)	५० प्रतिशत
२. लड़कियों की शादी की उम्र (औसतन)	१७ वर्ष
३. लड़कियों की शादी होने की सर्वाधिक संभावना वाली उम्र	१३ वर्ष
४. बाल विवाह करने वाली लड़की की उम्र व उसके पति की उम्र के बीच का अंतर (औसतन)	५ वर्ष
५. बाल विवाह करने वाली लड़की की उम्र व उसके पति की उम्र के बीच का सर्वाधिक अंतर	७८ वर्ष
६. सर्वाधिक बाल विवाह वाले प्रदेश	मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार व उत्तर प्रदेश
७. सर्वाधिक बाल विवाह वाले प्रदेशों में लड़कियों की शादी की उम्र (औसतन)	१६ वर्ष

जानकारी प्राप्त होती थी। यह भी मालुम नहीं हो पाया कि उनके परिणाम किस तरह तय किए गए।

अधिकांश कार्यक्रम ऐसे हैं जो बाल विवाह जारी रखने के लिए जिम्मेदार सामाजिक धारणा को बदलने के प्रयास करते हैं। ४८ प्रतिशत कार्यक्रम ऐसे थे जो परिवार और समुदायों के सदस्यों को शिक्षा देने के लिए थे, जबकि ४२ प्रतिशत कार्यक्रम ऐसे थे जो लड़कियों को शिक्षा देने के लिए थे। मात्र ८ प्रतिशत कार्यक्रम ऐसे

थे, जो इन कार्यक्रमों के बारे में अनुसंधान और मूल्यांकन का काम करते थे। मात्र एक कार्यक्रम ही ऐसा देखने को मिला जो उम्र में विवाह करने वाली लड़कियों को विविध प्रकार की सेवाओं की आपूर्ति करते हैं।

बाल विवाह रोकने वाले अधिकांश कार्यक्रम परिवारों व समुदायों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। २३ कार्यक्रम ऐसे भी पाए गए हैं जो मात्र अविवाहित लड़कियों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। ११ कार्यक्रम ऐसे थे जो विवाहित व अविवाहित दोनों तरह की लड़कियों के लिए थे। १४ कार्यक्रम नीति-निर्धारण पर ध्यान केन्द्रित करने वाले थे। विविध कार्यक्रमों के समग्र विश्लेषण पर से निम्न बातें ध्यान में आती हैं:

- (१) बाल विवाह रोकने के कार्यक्रम बहुत कम हैं और जहां बाल विवाहों की मात्रा अधिक है वहां अधिक कार्यक्रमों की आवश्यकता है।
- (२) बाल विवाहों में कमी के प्रयासों में अनेक क्षेत्रों का समावेश हो सकता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून, नीतियां और अर्थव्यवस्था। इसी तरह विविध दृष्टिकोण भी उपयोग हो सकते हैं। जैसे समुदाय की संवेदनशीलता में वृद्धि, जागृति स्थापित करना और जीवन जीने के लिए जरूरी कौशलों सम्बंधी शिक्षा। हालांकि ऐसे कार्यक्रमों के बीच सहयोग एवं समन्वय बहुत ही मर्यादित है और इससे उन कार्यक्रमों का प्रभाव बहुत कम होता है तथा परस्पर सबक नहीं सीखा जा सकता।

भारत में बाल विवाहों पर प्रभाव छोड़ने वाले परिबल

भारत में १५,३८७ महिलाओं का अध्ययन किया गया। इनकी उम्र २० से ४० वर्ष के बीच थी और सभी विवाहित थीं। उनके अभिप्रायों के आधार पर बाल विवाह के लिए जिम्मेदार पाए गए परिबल निम्नानुसार हैं:

- (१) लड़की की अपनी उच्च शिक्षा।
- (२) लड़की की अपनी माध्यमिक शिक्षा।
- (३) पति व पत्नी के बीच की उम्र का अंतर।
- (४) लड़की की अपनी प्राथमिक शिक्षा।
- (५) धर्म।
- (६) सम्पत्ति।
- (७) पति की माध्यमिक शिक्षा।
- (८) पति की उच्च शिक्षा।
- (९) घर के स्थल का प्रकार।
- (१०) प्रदेश।
- (११) पति की प्राथमिक शिक्षा।

बाल विवाह रोकने में समुदाय की सहभागिता सम्बन्धी भारत का अनुभव

भारत में महाराष्ट्र में औरंगाबाद का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां लड़कियों की शादी बहुत जल्दी लगभग १४ वर्ष की उम्र में कर दी जाती है और फिर वे तुरंत माता बनती हैं। पचोड स्थित संस्था इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैनेजमेंट द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया। उन्होंने लड़कियों की क्षमता बढ़ाने पर, मातृत्व स्वास्थ्य पर और अंततः परिवार स्वास्थ्य व कल्याण पर ध्यान केन्द्रित किया तथा इन सभी विषयों पर बाल विवाह के बुरे असर के बारे में लोगों को समझाने की शुरुआत की। ११ से १७ वर्षीय आयु समूह की अविवाहित लड़कियों के लिए उन्होंने जीवन कौशल्य के एक वर्ष का कार्यक्रम बनाया तथा इसमें उपरोक्त मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

संस्था ने कार्यक्रम के तमाम पहलुओं में माता-पिताओं और समुदाय के नेताओं को शामिल किया। जीवन कौशल्यों के पाठ्यक्रम में समुदाय में शुरू की गई व्यक्तिगत परियोजनाओं, शिक्षकों की स्थानीय भर्ती और अभिभावकों के साथ नियमित बैठकों को समावेश किया गया।

आयोजन के चरण में माताओं ने कहा कि यदि उनकी लड़कियां स्कूल में पढ़ती हों तो कम उम्र में उनकी शादी कर देने के लिए जो सामाजिक दबाव बनाया जाता है उसके विरुद्ध लड़ना उनके लिए आसान हो सकता है। हालांकि इस क्षेत्र में बहुत कम स्थानों पर ही ४थी कक्षा से आगे की शिक्षा पाने की व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने जीवन कौशल्य के कार्यक्रम को एक विकल्प के रूप में सराहा। कार्यक्रम के मात्र एक वर्ष बाद इस क्षेत्र में लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ कर १६ से १७ वर्ष हुई। यह वृद्धि समुदाय स्तर का एक परिणाम थी। जो लड़कियां जीवन कौशल्य के विकास के कार्यक्रम में भागीदार हुईं, उनमें ही नहीं, बल्कि अन्य लड़कियों में भी यह परिणाम देखा गया। यह दर्शाता है कि लड़कियों की शादी की उम्र के बारे में जो सामाजिक मानदंड व्याप्त थे उसे बदलने में समग्र समुदाय किस तरह शामिल हुआ।

- (३) बाल विवाह रोकने के कार्यक्रमों पर निगरानी रखने या उनका मूल्यांकन करने का काम शायद ही होता है। इसीलिए कार्यक्रमों की श्रेष्ठता तय नहीं की जा सकती है और साथ ही प्रभावी कार्यक्रमों की पहचान नहीं की जा सकती। इसके कारण इन कार्यक्रमों का विस्तार भी नहीं किया जा सकता।
- (४) विवाहित लड़कियों की कुछ निश्चित स्वास्थ्य सम्बन्धी, सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक जरूरतें होती हैं। बाल विवाह रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, उनमें कम उम्र में जिनके विवाह हो जाते हैं, उन लड़कियों का समावेश नहीं किया जाता।

विश्लेषण के निष्कर्ष

जिन २० देशों में बाल विवाह सबसे अधिक मात्रा में होते हैं उन देशों में बाल विवाहों के संभावित जोखिमों तथा रक्षात्मक परिबलों के बारे में विश्लेषण किया गया। इसके लिए जनसंख्या तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण की सूचना का उपयोग किया गया। इस विश्लेषण के निष्कर्ष और अनुशांसाएं निम्नानुसार हैं:

- (१) बाल विवाहों के साथ जो १२ परिबल मजबूती से जुड़े हुए हैं उनमें से ४ परिबल सर्वाधिक मजबूती से जुड़े हुए हैं। ये ४ परिबल निम्नानुसार हैं:
 - लड़कियों की शिक्षा।
 - उम्र का अंतर।
 - प्रदेश।
 - सम्पत्ति।
- (२) लड़कियों की शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिबल है जो विवाह काल की उम्र से जुड़ा हुआ है। माध्यमिक शिक्षा बाल विवाह का प्रमाण घटाने में सबसे ज्यादा मजबूती से जुड़ा परिबल है, लेकिन बहुत कम उम्र में जिन लड़कियों की शादी होती है उनमें से कई लड़कियों के मामलों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिबल प्राथमिक शिक्षा होती है। इसीलिए बाल विवाह की समस्या के निवारण के लिए तमाम स्तर पर शिक्षा को बढ़ावा देना एक प्रभावी रास्ता है।
- (३) उम्र का अंतर या पत्नियों व पतियों के बीच उम्र का अंतर भी बाल विवाह से जुड़ा महत्वपूर्ण परिबल है। इस सम्बंध का कोई निश्चित स्वरूप जानने को नहीं मिला है, लेकिन इस आयु अंतर से क्या नकारात्मक परिणाम आ सकते हैं, ऐसी

जागृति लाने वाले कार्यक्रम और शिक्षा बाल विवाह में कमी लाने में सहायक हो सकते हैं। ऐसे नकारात्मक परिणामों में एक महत्वपूर्ण परिणाम घरेलू हिंसा है।

- (४) कुछ देशों के कुछ प्रदेशों में बाल विवाहों का प्रमाण अधिक होता है और वहां हस्तक्षेप करने के प्रयासों पर अधिक ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।
- (५) लड़कियां जिन परिवारों में रहती हैं उन परिवारों का आर्थिक दर्जा भी लड़कियों की विवाह की उम्र तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लड़कियों की आय अर्जन क्षमता बढ़ा कर, विवाह स्थगित रखने के लिए परिवारों को जो खर्च उठाना पड़ता है उसमें उन्हें मदद कर तथा दहेज व नववधू की कीमत सम्बंधी स्थानीय रीति-रिवाज व्याप्त हैं,

उनमें फेरबदल कर बाल विवाह रोकने के प्रयास हो सकते हैं।

(६) लड़कियों की शादी कम उम्र में होती है। इसके साथ अनेक परिवार जुड़े हुए हैं। इसमें समान्यतः १३ या १४ वर्ष की उम्र में विवाह हो जाने की आशंका विशेष रूप से रहती है। यह उम्र ही लड़की के विवाह के लिए कारण बनती है। बाल विवाह रोकने के लिए जो कार्यक्रम चलते हैं, उन्हें इस उम्र में लड़कियों के विवाह न हो, ऐसे विशेष प्रयास करने की जरूरत है, क्योंकि इस उम्र में विवाह होना एक गंभीर समस्या है।

संपर्क: कोमनवेलथ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, ९, नंदीग्राम एपार्टमेन्ट, ५२/१ अरुणोदय सोसायटी, अलकापुरी, वडोदरा ३९० ००५. फोन: ०२६५-२३२२७८४

पृष्ठ 10 का शेष भाग

उपभोक्ताओं के संगठनों या ग्राहकों के संगठनों के साथ संवाद इसमें उपभोग व आपूर्ति की समस्याएं दूर करने और सेवा के वाजिब मूल्य तय करने तथा वह एकत्र करने में उपयोगी होता है। मात्र सेवा की मूल्य वृद्धि नागरिकों को चिंतित करती है, तब नागरिक किस तरह अधिक बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं प्राप्त करेंगे उसका विचार सहभागिता से पैदा हो सकता है।

देश में ग्राम व शहरी क्षेत्रों में गरीबों की समस्याएं दूर करने के लिए सेवाओं में सुधार करना एक महत्वपूर्ण उपाय है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ढांचागत सुविधाएं सुधरें, टिकें और मजबूत बनें, यह

सामाजिक सुविधाओं के सुधार जितना ही महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन मात्र प्रक्रिया पर ध्यान देने की बजाए अधिकारियों व राजनेताओं को उसके अंतिम परिणाम पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।

ऐसा लगता है कि सहभागिता व उत्तरदायित्व के नवीनतम प्रयोग तमाम क्षेत्रों में गरीबों के लिए अधिकाधिक बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

संदर्भ: रिफॉर्मिंग पब्लिक सर्विस इन इंडिया, ए वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, सेज पब्लिकेशन्स - नई दिल्ली, २००६

पृष्ठ 16 का शेष भाग

लिए उपयोगी है तथा स्वैच्छिक, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के लिए भी उपयोगी है। सरकार ऐसी सूचना की नींव तैयार करने तथा उसे अत्याधुनिक बनाने के लिए योग्य संस्थाएं शुरू करेगी।

- ६.६ सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों के बारे में सूचना प्राप्त करना स्वैच्छिक संगठनों के लिए कई बार मुश्किल होता है। सरकार की विविध संस्थाओं की वेबसाइट परियोजना के लिए अनुदान देने की योजनाओं के साथ सम्बंधित ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों व सूचना की बुनियादों सहित तमाम

सूचना के लिए कड़ी मुहैया कराने के लिए नए सिरे से डिजाइन तैयार करेगी।

- ६.७ सरकार परिवार कल्याण केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, अस्पतालों, विद्यालयों, व्यवसायी प्रशिक्षण केन्द्रों, सफाई अभियान आदि जैसी जनसेवाओं में स्वयंसेवकों की सहभागिता को बढ़ावा देगी।

यह राष्ट्रीय स्वैच्छिक क्षेत्र नीति - २००७ स्वैच्छिक संगठनों की स्वायत्तता व पहचान को प्रभावित किए बगैर स्वैच्छिक क्षेत्र व सरकार के बीच नए कार्यगत सम्बंध स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरूआत है।

सच की यादें, यादों का सच

२००२ में गोधरा कांड के बाद गुजरात में हुए दंगों के पांच वर्ष पूरे होने पर २६ फरवरी से २ मार्च, २००७ के दौरान यह कार्यक्रम ऑक्सफाम द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई गैर-सरकारी संगठनों ने सहयोगी की भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तावना

२००२ में गोधरा कांड के बाद हुए दंगों में लगभग २००० लोग मारे गए। इसमें लगभग ३८०० करोड़ रुपए की सम्पत्ति के नुकसान का आकलन किया गया है। भारत के हाल के इतिहास में सामूहिक हिंसा की सबसे दर्दनाक घटनाओं में यह एक थी। इसमें लगभग ढाई लाख लोग विस्थापित हुए। अनेक लोग आज भी ८० राहत शिविरों में जी रहे हैं।

इस घटना से सबक सीखने व जो वास्तविकताएं हैं उसका प्रामाणिक स्वीकार करने तथा नैतिक जिम्मेदारी उठाने की भावना बनाने के लिए यह कार्यक्रम किया गया। राज्य की जिम्मेदारी तय करने की व्यवस्था खोजने का उद्देश्य भी इसमें रखा गया। प्रभावितों को पर्याप्त मुआवजा मिले, उनके अधिकारों का हनन न हो तथा उनके गौरव की पुनर्स्थापना की मांग का उठाने का मुद्दा भी इन कार्यक्रमों में शामिल किया गया। जो गैर-सरकारी संगठन इस कार्यक्रम में शामिल हुए वे सभी प्रभावितों के साथ काम करने वाले थे। कई संगठन मानवाधिकार के हनन और प्रभावितों को वित्तीय मुआवजा दिलाने के लिए काम करने वाले थे। अन्य संगठन ऐसे भी थे जो मानसिक, सामाजिक व व्यक्तिगत पुनर्वास हो तथा जीवन निर्वाह की व्यवस्था पुनः स्थापित करने के लिए काम करते थे। इसके अलावा कुछ संगठन शांति की स्थापना की प्रक्रियाओं पर ध्यान दे रहे थे। कर्मशीलों, विद्वानों, प्रभावितों, कवियों, साहित्यकारों, फिल्म क्षेत्र के अग्रणियों, विद्यार्थियों तथा आम जनता को इन कार्यक्रमों से जोड़ा गया। इसके लिए विभिन्न प्रकार की रणनीतियां अपनाई गईं। विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए जिससे

विभिन्न क्षेत्र के विभिन्न वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सकें। इसमें सार्वजनिक प्रसंग, परिसंवाद तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के संयोजक हीरेन गांधी ने कहा कि यह कार्यक्रम नागरिक समाज के संगठनों द्वारा किया गया एक सामूहिक प्रतीकात्मक प्रयास था जिससे दंगों की लोगों की अंतरात्मा पर पड़ी गहरी छाप को सुधारा जा सके और उन घटनाओं को बिल्कुल भुला ही न दिया जाए।

परिसंवाद और कार्यशाला

दिनांक २६ फरवरी, २००७ को गुजरात विद्यापीठ में हीरेक महोत्सव हॉल में यह परिसंवाद आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत हीरेक परिसंवाद से हुई और इसमें तमाम सहभागी एकत्र हुए। १८५७ के १५० वर्ष, सत्याग्रह के १०० वर्ष और गुजरात की हिंसा के ५ वर्ष इस परिसंवाद का विषय था। इसमें इन तीनों घटनाओं को जोड़ने का उद्देश्य था। इसमें तीस्ता सेतलवाड, मल्लिका साराभाई और सोफिया खान आदि ने अपने विचार रखे। मूल मुद्दा यह था कि गोधरा की घटना और उसके बाद के दंगों को राज्य को अलग-अलग दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। खासकर विभिन्न समुदायों के बीच अमन व चैन पैदा हो, इसके लिए राज्य द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने पर खेद व्यक्त किया गया। दिनांक २८.२.२००७ को



गुजरात विद्यापीठ में अहिंसा शोध भवन में न्याय तथा शांति के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था विषय पर आधे दिन की एक कार्यशाला हुई। इसमें लगभग ७५ सहभागियों ने भाग लिया। गुजरात उच्च न्यायालय के जाने-माने वकील गिरीश पटेल ने इस वास्तविकता पर गौर कराया कि सामूहिक अपराधों की समस्या के निवारण के लिए कोई व्यवस्था देश में नहीं है। उन्होंने खेद जताया कि भयानक अपराध करने वालों को सजा देने के लिए राज्य गंभीर नहीं है।

‘आनंदी’ की सुश्री जाह्नवी अंधारिया ने साम्प्रदायिक हिंसा सम्बंधी विधेयक पर बात की और इसकी कुछ कमजोरियों पर चर्चा की। हालांकि उन्होंने कहा कि यह कानून बनाना बिल्कुल व्यर्थ नहीं होगा। ‘सहर वारु’ की सुश्री शीबा जॉर्ज ने महिलाओं के प्रति भेदभाव और गुजरात में महिलाओं पर दंगों के प्रभाव पर चर्चा की। इसके अलावा सुश्री गजाला पॉल, सुश्री सोफिया खन, डॉ. हनीफ लकड़ावाला तथा फादर सैड्रिक प्रकाश आदि ने भी विचार रखे। सहभागियों व वक्ताओं के बीच प्रश्नोत्तरी भी हुई। न्यायी और शांतिपूर्ण समाज की रचना के लिए अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर जरूरी संसाधनों और व्यवस्थाओं पर जोर दिया गया। १.३.२००७ को गुजरात विद्यापीठ के हीरक महोत्सव हॉल में राज्य भर से दंगा प्रभावित लोग करीब ६ हजार की संख्या में आए। अपेक्षा से अधिक लोग आए। उन्होंने न्याय देने के लिए किए जा रहे इनकार की कहानी बताई। तीस्ता सेतलवाड, विजय तेंदुलकर, निर्मला देशपांडे और स्टेनी फर्नांडीस आदि ने सभा में शिरकत की। ६

हजार से अधिक लोगों के हस्ताक्षर वाला एक मांग पत्र तैयार किया गया। उसे राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा विविध राजनीतिक दलों के नेताओं को भेजा गया। इसमें १० मुद्दे उठाए गए। सबको न्याय, विविध मामलों में साक्ष्यों को सुरक्षा और प्रभावितों को उचित मुआवजे पर विशेष जोर दिया गया। कई लोगों ने कहा कि पुलिस दंगाइयों के साथ मिल गई थी और किस तरह हिन्दुओं ने उनकी सुरक्षा की। २७.२.२००७ को कोचरब आश्रम में गोधरा कांड की पांचवीं बरसी पर एक समूह प्रार्थना हुई। अवाज और अन्य संगठनों की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में गुजराती, हिन्दी व मराठी भजन गाए गए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम

समग्र कार्यक्रम के दौरान लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। चित्र प्रदर्शनी फिल्म दर्शन काव्य प्रस्तुति और नाटक इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के हिस्से थे। २६.२.२००७ से ३.३.२००७ तक अहमदाबाद की गुफा और विज्युअल आर्ट ऑफ सेंटर में दो चित्र प्रदर्शनियां लगाई गईं। अहमदाबाद की गुफा में आयोजित चित्र प्रदर्शनी बिहार के संतोष कुमार दास द्वारा आयोजित थी। इसमें मैथिली परम्परा के चित्र थे। बिहार व नेपाल के तराई प्रदेशों में मैथिली शैली विख्यात है। इन चित्रों में इस शैली से २००२ के दंगों का पुनः अर्थघटन किया गया था।

विज्युअल आर्ट सेंटर में वसुधा तोजुर नामक कलाकार के सहयोग से शाहजहां, तेहरा, रबिया, तसलीम, फर्जाना तथा रेहाना नामक



छह लड़कियों द्वारा तैयार चित्रों को रखा गया। अहमदाबाद के नरोड़ा पाटिया क्षेत्र में २००२ के दंगों में इन लड़कियों ने अपने परिवार के कई सदस्यों को खोया था। वसुधा ने १८ माह तक इस योजना पर काम किया था। जिन परिवारों ने अपने घर गंवाए, उनकी २० मुस्लिम महिलाओं ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। यह एक कला कार्यशाला थी और वह 'हिम्मत' के बैनर तले आयोजित हुई थी।

२६.२.२००७ को दर्पण अकादमी में नटराणी थियेटर में 'अनसुनी' नामक एक नाटक मंचित किया गया। दर्पण अकादमी द्वारा मल्लिका साराभाई के नेतृत्व में यह नाटक मंचित किया गया। हर्ष मंदर की इसी नाम की पुस्तक पर यह संगीत नाटक आधारित था। कई एकोक्तियों द्वारा इस नाटक में लोगों की आवाज उठाई गई। इसी तरह २८.२.२००७ को इसी स्थान पर उर्दू लेखक इस्मत चुगताई द्वारा लिखी गई कहानी लाजो नाटक के रूप में मंचित की गई। परेश व्यास ने उसका लेखन-निर्देशन किया। खासकर समाज में युवा लड़की के साथ होने वाले बर्ताव का इसमें प्रतिबिंब था।

२.३.२००७ को इसी स्थान पर परेश व्यास लिखित-निर्देशित नाटक केटलू अंधारू हूं लूछूं मंचित किया गया। सामूहिक धिक्कार की जो कहानी एनी फ्रेंक की डायरियों द्वारा पेश की गई है उसे गुजरात की हिंसा के साथ जोड़ कर यह नाटक तैयार किया गया था।

२७.२.२००७ से ३.३.२००७ तक अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक मंचित किए गए। इनमें से दो नाटक संवेदन कल्चरल प्रोग्राम द्वारा मंचित किए गए। इनके नाम थे : 'गुजरात २००७' और 'मेगासिटी में मच गया शोर'। अन्य एक नाटक 'छता घरे घर विनाना' मानव कल्याण ट्रस्ट-खेडब्रह्मा द्वारा मंचित किया गया। इसके अलावा उदयपुर के सेवा मंदिर के समर्थन से कर्पूरू नाटक मंचित किया गया। अहमदाबाद में दाणीलीमडा, गोमतीपुर, बापूनगर, बॉम्बे होटल, जुहापुरा, ओढव, दूधेश्वर, रखियाल तथा शाहपुर क्षेत्रों में मंचित किया गया। नाटक को देखने के लिए ३०० से ३००० लोग आते थे। अवाज, समर्थ, सहरवारु, संचेतना, सेंट जेवियर्स सोशल सर्विस सोसायटी और अमन समुदाय आदि संस्थाओं के कार्यक्षेत्रों में ये नाटक मंचित किए गए। २७.२.२००७ को गुजरात

विद्यापीठ में 'कबीर की यादें' कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रहलादसिंह तिपन्या और उनके समूह ने कबीर के भजन प्रस्तुत किए। यही कार्यक्रम दूसरे दिन नटराणी थियेटर में मंचित किया गया। पहली मार्च के दिन गुजरात विद्यापीठ में प्रतिरोध या शब्द के नाम से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गुजराती, हिन्दी व उर्दू भाषा के कवियों ने २००२ के दंगों के संदर्भ में उन्होंने जो कविताएं लिखी थीं, वह प्रस्तुत कीं। इसमें गौहर रजा, नीलम मालवीय, अंशु मालवीय, नीरव पटेल, साहिल परमार, राजू सोलंकी, कांतिलाल कातिल आदि कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत कीं। सरूप ध्रुव और अपूर्वानंद जैसे कवियों ने इस सम्मेलन का संचालन किया।

२७-२८ फरवरी को हुसैन-दोशी गुफा में दस्तावेजी और संक्षिप्त फिल्मों का प्रदर्शन रखा गया। मानवाधिकारों, विकास व साम्प्रदायिक तनाव जैसे विषयों पर करीब तीस फिल्में प्रदर्शित की गईं। इसमें 'द ब्लैक रोड' और 'नाता' जैसी फिल्में भी प्रस्तुत हुईं। इसके अलावा फाइनल सॉल्युशन्स, ए नर्मदा डायरी, इन द नेम ऑफ गोड एण्ड फादर, फादर, सन एण्ड होली वार जैसे वृत्तचित्र भी दर्शाए गए। तीन मार्च को अहमदाबाद में रूपाली सिनेमा के सामने सार्वजनिक धरना दिया गया।

इसमें करीब १००० लोगों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम से छह दिन के समग्र कार्यक्रम का समापन हुआ। कई वक्ताओं ने इस धरने के दौरान वक्तव्य दिए। विशेषकर हीरेन गांधी, तीस्ता सेतलवाड, फा. सैड्रिक प्रकाश, आनंद पटवर्धन और राकेश शर्मा के वक्तव्य उल्लेखनीय थे। इस अवसर पर सभी चार नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। कई बैनरों व पोस्टरों के साथ इस कार्यक्रम में फिल्म निर्माता, कवि, लेखक आदि भी शामिल हुए। इस समग्र कार्यक्रम व अन्य कार्यक्रमों को मीडिया ने भी अच्छी-खासी कवरेज दी और जीवंत नागरिक समाज के लोकतांत्रिक व्यवहारों के बारे में स्वस्थ चर्चा की शुरूआत भी की।

संपर्क: ओक्सफाम, ३-ए, तीसरी मंजिल, कॉमर्स हाउस-१, जजेज बंगला रोड, अहमदाबाद ३८० ०५४. फोन: ०७९-२६८४११४२/४६/४८. ईमेल: oxfamad1@sancharnet.in

गतिविधियाँ

जी-८ : वैकल्पिक परिषद

२००६ की जी-८ परिषद् जर्मनी में हेलीजेंडम में आयोजित हुई। जी-८ में अमरीका, जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस शामिल हैं। हर वर्ष दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के नेता एकत्र होते हैं और विश्व की अर्थ नीति को दिशा देने पर विचार-विमर्श करते हैं।

हर वर्ष आयोजित होने वाली इस परिषद् का विरोध भी कई कारणों से किया जाता है। इस वर्ष ५ से ७ जून के दौरान जर्मनी में ही रोस्तोक शहर में एक वैकल्पिक परिषद् आयोजित हुई। इसमें वैश्वीकरण के विकल्प खोजने में लगे प्रत्येक व्यक्ति को आमंत्रित किया गया।

जी-८ की आबादी दुनिया की कुल आबादी की १३ प्रतिशत है, लेकिन इन देशों की सरकारों के निर्णय विश्व की अर्थव्यवस्था, विकास, पर्यावरण, युद्ध और शांति को प्रभावित करते हैं। वे अधिकांशतः अपने आर्थिक हितों की रक्षा की चिंता करते हैं।

जर्मन सरकार ने इस वर्ष निवेश की सुरक्षा विषय को परिषद् का मुख्य विषय माना। इस संदर्भ में वैकल्पिक परिषद् हुई जिसमें आर्थिक विकास का जो मॉडल इन देशों द्वारा अपनाया गया है और उसके फलस्वरूप दुनिया भर में गरीबी, बेरोजगारी, युद्ध, जैव वैविध्य का विनाश, पर्यावरण का विनाश, जलवायु में परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में जो विपरीत प्रभाव पड़े हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई। सामाजिक न्याय वैश्वीकरण की प्रक्रिया के कारण खो जाता है और सामाजिक ध्रुवीकरण इस तरह होता है कि गरीबी बढ़ती है। इस बात पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया।

पिछले १० वर्षों के दौरान भुखमरी से पीड़ित प्रजा की संख्या ८४ करोड़ से बढ़ कर ८५.४ करोड़ हुई है और दूसरी तरफ कुछ अरबपतियों की सम्पत्ति १६ अरब डॉलर से बढ़ कर ३३ अरब डॉलर

होने पर चिंता व्यक्त की गई।

वैकल्पिक परिषद् में खासकर राष्ट्रवाद, जातिवाद, हिंसा, आतंकवाद, धर्म जुनून और युद्ध जिस तरह समग्र मानवजाति को अशांति और असुरक्षा में धकेलते हैं और इसमें जी-८ देश जिस तरह की भूमिका निभाते हैं इस बारे में विस्तार से चर्चा की गई।

जी-८ देशों की राजनीतिक अनियंत्रित विकास, अनियंत्रित बाजार और अनियंत्रित उपभोग की तरफ ले जाती है और इससे दुनिया की पर्यावरणीय समस्याएं बढ़ती हैं, उस पर भी चिंता व्यक्त की गई। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और संस्थागत निवेशक वैश्वीकरण में वैश्विक खिलाड़ियों के रूप में पहचाने जाते हैं। विकास की समग्र प्रक्रिया के दौरान उन्हें ही फायदा होता है और दूसरी तरफ गरीब पिछड़े रह जाते हैं जो चिंता का विषय बना।

सम्पर्क : ई-मेल : workshops@G8-Alternative-Summit.org
फोन : ४९-३०२८०४१८११

मारवाड़ी-रबारी समुदाय का अध्ययन

भारत सरकार के घूमंतू और विमुक्त जाति आयोग द्वारा इन समुदायों के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए कयावद चल रही है। इसके लिए आयोग ने एक पत्रक तैयार किया है। इस पत्रक के अनुसार साबरकांठा जिले के पहाड़ी प्रदेशों में रहने वाले मारवाड़ी-रबारी समुदाय का अध्ययन मानव कल्याण ट्रस्ट द्वारा किया गया।

इस अध्ययन में समुदाय की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, व्यवसाय-रोजगार, कला, व्यवसायिक कुशलताओं, महिलाओं की स्थिति आदि के बारे में अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से निकला निष्कर्ष निम्नानुसार है:

शेष पृष्ठ 28 पर


संदर्भ सामग्री

एसेसिंग डैमेज आफ्टर डिजास्टर्स

प्राकृतिक आपदाएं लम्बी व संक्षिप्त अवधि के लिए मनुष्य के जीवन के विविध पहलुओं को प्रभावित करती हैं। वे मानव जीवन, जीवन की स्थिति, सामाजिक सम्बंधों, आर्थिक प्रयासों, वस्तुओं व सेवाओं, धरोहरों और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं।

पूर्व का अनुभव दर्शाता है कि मानवता के नाते जो प्रतिभाव दिया जाता है वह अधिकांशतः प्रभावित समुदायों की वास्तविक जरूरतों के आधार पर नहीं, बल्कि साधनों की क्षमता और सेवाओं की आपूर्ति करने वाली संस्था के संस्थागत विषयों के आधार पर तय होते हैं। इस संदर्भ में आपदा का आकलन एक महत्वपूर्ण कदम बन जाता है। यदि नुकसान का आकलन प्रभावी और व्यापक रूप से किया जाए तो प्रभावित लोगों की जरूरतों को पूरा करने का आयोजन बेहतर ढंग से हो सकता है।

यह अंग्रेजी पुस्तक प्रभावितों को हुए नुकसान के आकलन और आकारणी के तरीके को समझाती है। इस आकलन का ढांचा उपलब्ध कराती है तथा साधन सम्पुट की आपूर्ति करती है। यह भी इसमें दर्शाया गया है कि सहभागी तौर पर यह काम कैसे किया जा सकता है।



इस पुस्तक में नुकसान के आकलन का बहु क्षेत्रीय ढांचे की रूपरेखा पर चर्चा की गई है और चर्चा के साथ असहायता में कमी, सामाजिक समावेश, समुदाय की भागीदारी तथा नारी दृष्टिकोण पर विशेष चर्चा की गई है।

इसमें इन ७ प्रकरणों में नुकसान के आकलन की पद्धतियों की चर्चा की गई है :

- (१) मानव जीवन को हानि का आकलन
- (२) आवास की हानि का आकलन
- (३) सामुदायिक ढांचागत सुविधाओं की हानि का आकलन
- (४) पर्यावरण को हानि का आकलन
- (५) जीवन निर्वाह की हानि का आकलन
- (६) स्वास्थ्य पर प्रभावों का आकलन
- (७) मनो-सामाजिक प्रभावों का आकलन।

अंततः इस पुस्तक में महिलाओं पर आपदा के प्रभावों पर चर्चा की गई है।

प्राप्ति स्थान : उन्नति, नवागाम, भचाऊ-कच्छ ३७० १४०. फोन : ०२८३७-२२३२९४. ई-मेल : unnati_kutch@sancharnet.in

न्याय प्रहरी

सामाजिक न्याय के लिए कानून का उपयोग कर रही कई कानूनी संस्थाएं पैरा-लीगल प्रशिक्षण के जरिए पैरा-लीगल की स्वायत्तता पहचान और कानूनी मान्यता के लिए प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रही हैं।

इस हस्तक्षेप से जनसमाज के साथ-साथ न्याय दिलाने वाले प्रशासनिक-व्यवस्था में भी पैरा-लीगल की पहचान स्थापित हुई है और कामकाज को ध्यान पर भी लिया गया है। अब जरूरत है इस

कामकाज को इस प्रशासनिक-व्यवस्था में कानूनी स्वीकृति तक ले जाने की। पैरा-लीगलों के कामकाज का श्रेय उनके साथ-साथ उन्हें तैयार करने में अमूल्य योगदान करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को भी जाता है।

वंचितों के मुद्दे पर संघर्ष कर रहे नए प्रशिक्षु पैरा-लीगल की तालीम की शुरुआत में उलझन महसूस करते हैं। जनसमाज में और न्याय दिलाने वाली प्रशासनिक व्यवस्था में स्वयं की क्या पहचान होगी? पैरा लीगल के रूप में क्या कार्य होगा? किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? काम का महत्व क्या होगा? ऐसे कई सवाल तालीम के दौरान उन्हें सताते रहते हैं, लेकिन कदाचित अब यह समस्या दूर करने में यह पुस्तक माध्यम बनेगी।

कानून के काम से जुड़े कर्मशील, कानून कार्यकर्ता, पैरा लीगल तालीम से जुड़े प्रशिक्षु, पैरा-लीगल की पहचान के लिए जन पैरवी करने वाले समूहों या पैरा-लीगल तालीम शुरू करने की इच्छुक कानूनी व अन्य संस्थाओं के लिए यह पुस्तक सहायक होगी।

इस पुस्तक में गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत पैरा लीगलों की संघर्ष गाथा के बारे में जानकारी मिलेगी। कई मुश्किलों व विपरीत परिस्थितियों के बीच इन पैरा-लीगलों ने वंचित समाज को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किए हैं जो सबके लिए प्रेरक होंगे। एक सामाजिक कार्यकर्ता कानूनी विषयों की जानकारी प्राप्त कर अधिक आत्म विश्वास और उत्साह के साथ अपना कार्य कर सकता है।

इस पुस्तक में कई उदाहरणों से इसे समझाया गया है। पुस्तक को मुख्यतः तीन विभागों में बांटा गया है। पहले विभाग में प्रेरणादायी दृष्टांत दिए गए हैं। दूसरे विभाग के दृष्टांत तालीमी साहित्य के रूप में विभिन्न तालीमों में उपयोगी हैं। तीसरे विभाग के उदाहरण पैरा-लीगल को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए जन पैरवी करने के तौर पर उपयोगी हैं। स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ता पैरा-लीगल विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, ऐसा तीसरे विभाग के सभी लेखों को देखने से लगता है। इस पुस्तक में कुल २५ उदाहरण


दिए गए हैं।

प्रकाशक : भारतीय पैरा-लीगल शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय संसाधन केन्द्र-गुजरात, सी-१०५, रॉयल चिन्मय, जजेज़ बंगलो रोड, बोडकदेव, वस्त्रापुर, अहमदाबाद ३८० ०५४. फोन : ०७९-५५४१९१२१. ई-मेल: info@iipils.org वेबसाइट: www.iipils.org स्वैच्छिक योगदान : रु. ५०

पंचायत चालीसा और अन्य साहित्य

लोकप्रिय भाषा में पंचायत की समझ लोगों को देने के लिए पंचायत चालीसा प्रकाशित किया गया है। इसमें पंचायती राज, वार्ड सभा, ग्राम सभा, ग्राम सेवक, ग्रामीण विकास योजना, ग्राम पंचायत का बजट, पंचायत के रिकॉर्ड्स, योजनाओं, पंचायत की समितियों आदि मुद्दों के साथ २० पृष्ठ की एक पुस्तिका तैयार की गई है। काव्यात्मक भाषा में लोगों को जानकारी देने वाली स्थानीय भाषा प्रयोग कर पंचायत के विषयों को समझाने का प्रयोग किया गया है। यह पुस्तिका जेब में रखी जा सकती है।





इसके अलावा ग्रामसभा में लोग आएँ और खासकर महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए चित्रों व सूत्रों के साथ एक पोस्टर तैयार किया गया है। इसमें सभी बहनें ग्राम सभा में 'आओ-विकास काम में हाथ बंटाओ' और 'महिलाएं भी देंगी साथ-तभी बनेगी अपनी बात' जैसे नारे इस पोस्टर में लिखे गए हैं। इसके अलावा कुछ छोटे-बड़े स्टीकर्स तैयार किए गए हैं।

इस समग्र हिन्दी साहित्य का प्राप्ति स्थान : उन्नति, खसरा नं. ६५०, राधाकृष्णपुरम्, लोहिया रिसोर्ट के बराबर में, पाल-चोपासनी बाईपास लिंक रोड, जोधपुर-राजस्थान। फोन : ३४३ ००८. फोन : ०२९१-३२०४६१८. ई-मेल: unnati@datainfosys.net

सूचना अधिकार मार्गदर्शिका

शासन में भागीदारी लोकतंत्र का हृदय है। भागीदारी का एक रास्ता है कि लोग सार्वजनिक धन से चलने वाली और सार्वजनिक सेवा देने वाली किसी भी सरकार या सरकारी संस्था के बारे में सूचना प्राप्त करें और उसके आधार पर निर्णय करें। सूचना प्राप्त होने से शासन अधिक पारदर्शी बनता है। सूचना प्राप्ति का अधिकार नागरिकों को देने के लिए २००५ में भारत में एक कानून बनाया गया है।


इस कानून का नाम सूचना अधिकार अधिनियम-२००५ है। इस अधिनियम का पालन हो और लोग शासन के प्रति जिम्मेदार बनें, इसके लिए महत्वपूर्ण यह है कि लोग सूचना अधिकार के बारे में जानें और उसका उपयोग करने लगे। इसके लिए इस पुस्तक में सूचना दी गई है। पुस्तक में कुल ९ प्रकरण हैं और ५ परिशिष्ट हैं।

प्रथम प्रकरण में सूचना अधिकार क्या है, उसकी समझ दी गई है। प्रकरण २ में सूचना अधिकार किस तरह लोगों की मदद कर सकता है, उसके बारे में बताया गया है। विविध उदाहरणों द्वारा समझाया गया है कि किन-किन विषयों को लेकर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जनसुनवाई से सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता जिस तरह आती है, उसे दिल्ली के एक उदाहरण के जरिए समझाया गया है।

तीसरे भाग में किससे सूचना प्राप्त हो सकती है और सार्वजनिक सूचना अधिकारी या सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी कौन है और सार्वजनिक प्राधिकरण क्या होता है, उसके कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई है।

चौथे भाग में किस तरह की सूचना प्राप्त की जा सकती है और किस तरह प्राप्त की जा सकती है, उसकी समीक्षा की गई है। मुख्य मुद्दा यह है कि जो सूचना संसद प्राप्त कर सकती है वह नागरिक भी प्राप्त कर सकते हैं।

पांचवें भाग में शासन की संस्थाओं को कौन-सी सूचना स्वयं ही



किसी के मांगे बगैर प्रकाशित करनी जरूरी है, उसका विवरण दिया गया है।

भाग ६ में सूचना प्राप्ति के लिए आवेदन के तरीके को पांच चरणों में समझाया गया है। इसके कानूनी प्रावधान दर्शाए गए हैं।

भाग ७ यह समझाता है कि सूचना प्राप्ति के लिए किए गए आवेदन पर निर्णय किस तरह किए जाते हैं और यदि सार्वजनिक सूचना अधिकारी आवेदन अस्वीकृत करे तो क्या किया करना चाहिए। फ्लो चार्ट द्वारा आवेदन की प्रक्रिया समझाई गई है। यदि मांगी हुई सूचना न मिले तो अपील के तरीके, शिकायत के तरीके और अदालत में अपील के तरीके की जानकारी दी गई है। अपील की प्रक्रिया को अन्य एक फ्लो चार्ट द्वारा समझाया गया है।

भाग ९ सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने की जरूरत को समझाता है। परिशिष्टों में सूचना अधिकार अधिनियम, शुल्क सम्बन्धी नियम, अपील के नियम और सूचना आयोग के सम्पर्क का विवरण दिया गया है।

प्रकाशक : कॉमनवेलथ ह्यूमन राइट्स इनिशियेटिव, ९, नंदीग्राम अपार्टमेंट, ५२/१, अरुणोदय सोसायटी, अलकापुरी, वडोदरा ३९० ००५. फोन : ०२६५-२३२२७८४.

पृष्ठ 24 का शेष भाग

- (१) लगभग ३ से ४ हजार परिवार इस समुदाय में हैं।
- (२) ३० वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में अक्षर ज्ञान शून्य है। २० से ३० वर्ष के लोगों में शिक्षा का प्रमाण ५ से ६ प्रतिशत। उससे कम उम्र में शिक्षा का प्रमाण ३० से ३५ प्रतिशत है। महिलाओं में साक्षरता शून्य है। मात्र एक ही लड़की आठवीं कक्षा तक शिक्षित है।
- (३) समग्र समाज भूत-प्रेत और अंधविश्वास से घिरा हुआ है।
- (४) जानवरों में टीकाकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
- (५) परम्परागत पशुपालन के व्यवसाय के अलावा अन्य किसी

व्यवसाय-रोजगार की जानकारी नहीं है।

- (६) सामाजिक प्रसंगों पर जाति के पंच जो कुछ करें वह अंतिम माना जाता है। पंच कई बार बहुत दंडित करते हैं और इससे कई बार परिवार कर्ज से उबर नहीं सकता।
- (७) घर या समाज का प्रशासन पूर्णतः महिलाएं करती हैं।
- (८) ६० प्रतिशत से अधिक परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है और मतदाता कार्ड भी नहीं है।

सम्पर्क : मानव कल्याण ट्रस्ट, भक्तिनगर, खेडब्रह्मा, जि. साबरकांठा ३८३ २५५. फोन : ०२७७५-२२००८५/२२१४२३.

पिछले तीन माह के दौरान निम्न क्षेत्रों में विविध गतिविधियां की गई :

क. नागरिक नेतृत्व और शासन

१. पंचायती राज संस्थाओं का मजबूतीकरण

गुजरात में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका समझाने के लिए साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर, मोडासा और खेडब्रह्मा तहसीलों की ३७ ग्राम पंचायतों में दूसरे दौर का अध्ययन शुरू किया गया। खेडब्रह्मा तहसील की ५ पंचायतों को इस योजना के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसमें निम्न गतिविधियां की गई हैं : जागृति पैदा करना, कार्य की मांग पैदा करने को प्रोत्साहन देना, रसीदों के लिए वे मांग करें, इस पर ध्यान केन्द्रित करना, अन्य कानूनी अधिकार प्राप्त हों, इसकी मांग उठाना, योजना के अमल पर निगरानी रखना, कानून के अमल के लिए पंचायतों को सक्षम बनाना, कानून के अमल की स्थिति के बारे में सामने से सूचना सार्वजनिक करना आदि। तहसील निरीक्षण समिति नामक एक समिति तहसील स्तर पर गठित की गई है। वह तहसील के विविध स्तर के हितधारकों और लोगों के बीच इस योजना सम्बंधी विविध मुद्दों पर संवाद बनाने की कोशिश करती है।

खेडब्रह्मा व मोडासा तहसीलों के अलावा अहमदाबाद की दसक्रोई व धोळका तहसीलों के लगभग १२० नागरिक नेताओं को सूचना अधिकार कानून के प्रावधानों के बारे में तालीम दी गई। इन नागरिक नेताओं ने कई मुद्दों पर सूचना मांगी है। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न तहसीलों में सामाजिक न्याय समितियों के सदस्यों की भी जानकारी मांगी है। गुजरात सूचना अधिकार पहल के सहयोग से २८ जून को नागरिक नेताओं द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के बारे में जागृति पैदा करने का एक शिविर लगाया गया।

दसक्रोई व धोळका तहसीलों के नागरिक नेताओं ने अपने गांवों में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता पर निगरानी का काम शुरू किया है। गुजरात के २५ जिलों के ८५० ग्राम पंचायत सदस्यों को महिला-पुरुष समानता, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, सूचना अधिकार अधिनियम आदि विषयों पर सैटकॉम द्वारा दो दिवसीय एक तालीम दी गई। इससे पहले ६० सरकारी अधिकारियों को इस मुद्दे पर प्रशिक्षकों की तालीम दी गई। उन्होंने बाद में सम्बद्ध केन्द्र में तालीम शुरू की। डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर, वर्ल्ड विजन, सी.एच.आर.आई और सी.ई.ई. जैसे संगठनों ने अपने क्षेत्रों के ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के लिए तालीम को समर्थन दिया।

राजस्थान में जोधपुर जिले में यू.एन.डी.पी. के सहयोग से तहसील स्तर पर पिछले तीन वर्ष से चल रहे पंचायत संसाधन केन्द्र दस्तावेजीकरण (प्रलेखन) शुरू किया गया। इनमें से छह केन्द्र बंद हो गए हैं, लेकिन स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधियों ने लगातार सहयोग जारी रखा है। महिला सरपंच और ग्राम सेवकों को आंगनबाड़ी केन्द्र, राशन की दुकान, विद्यालय और मध्याह्न भोजन योजना पर निगरानी का काम करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है। ग्राम सभा में लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए हिन्दी भाषा में पोस्टर, स्टीकर, डेंगलर, कैलेंडर, पुस्तिका आदि जैसी जागृति सामग्री विकसित की गई है। जोधपुर जिले में इस साहित्य का प्रचार-प्रसार किया गया है। गुजराती और हिन्दी में पंचायती राज सम्बंधी त्रैमासिक समाचार पत्र प्रकाशित किया जा रहा है।

२. ग्रामीण आवास और गृह निर्माण

करीब १०० निर्माण मजदूरों के लिए एक दिवसीय एक सभा का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया कि नई टेक्नोलॉजी का प्रचार-प्रसार

हो, नए मजदूरों को तालीम मिले और ऋण तथा अन्य विषयों के बारे में जो योजनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो। पिछले तीन माह के दौरान प्रभावितों के लिए झोंपड़े बनाने वाले संगठनों को तकनीकी सहयोग दिया गया।

३. शहरी स्थानीय निकायों का मजबूतीकरण

कड़ी, वडनगर, भचाऊ, इडर और रापर जैसे छोटे व मध्यम नगरों की नगर पालिकाओं की ठोस कचरा प्रबंध व्यवस्था की मौजूदा परिस्थिति का त्वरित मूल्यांकन करने के लिए निर्मल गुजरात अभियान के संदर्भ में गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के सहयोग से काम किया गया। यह कार्य सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार हुआ। मांगरोळ, चोरवाड और वेरावळ तीन नगर पालिकाओं के २१ सदस्यों के लिए केरल का शैक्षणिक प्रवास आयोजित हुआ। प्रोत्साहन के साथ इसके लिए सहयोग किया गया। आई.एच.एस.डी.पी. और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के बेहतर अमल के लिए गुजरात म्युनिसिपल फाइनेंस बोर्ड, गुजरात अर्बन डेवलपमेंट मिशन और गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के साथ लगातार बातचीत की जाती रही। ठोस कचरा प्रबंध के क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकायों और अन्य हितैषियों की क्षमता बढ़ाने के लिए गुजरात अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड के साथ सहयोग कर प्रयास किए जा रहे हैं।

ख. सामाजिक समावेश और अधिकारिता

१. दलित अधिकार अभियान

हाल में दलित अधिकार अभियान ऐसे पैरा-लीगल लोगों का समूह खड़ा कर रहा है जो स्थानीय स्तर पर सामाजिक न्याय की प्रक्रियाओं में शामिल होंगे। अहमदाबाद के सेंटर फॉर सोशल जस्टिस और ऑक्सफाम के सहयोग से ऐसे २५ प्रतिनिधियों के लिए एक तालीम का आयोजन किया गया। इसका पहला चरण ६ से १० मई, २००७ के दौरान पूरा हुआ।

१४ अप्रैल अम्बेडकर जयंती के दिन सभी तीन जिलों में ९ स्थानों समारोह रखा गया। फलौदी व पोकरण में इस कार्यक्रम गरीब दलित बच्चों का एक कोष स्थापित किया गया। तमाम ९ स्थानों पर लगभग ५०० दलित भाई-बहनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जिला संसाधन केन्द्रों के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की त्रैमासिक समीक्षा और आयोजन बैठक की गई। दो बैठकें संचालन समिति के लिए आयोजित हुईं और क्षेत्रीय समिति के सदस्यों के लिए अन्य दो बैठकें आयोजित हुईं।

महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों के तीन मामले सहित भेदभाव और अत्याचार के ८ मामलों में समर्थन दिया गया। इसके अलावा विविध सरकारी योजनाओं का लाभ ३६ परिवारों को दिया गया। अभियान की कानूनी रणनीति को मजबूत बनाने के लिए विचार करने ३५ वकीलों के साथ एक दिवसीय एक बैठक रखी गई। दो परिवारों की ३६ बीघा जमीन मुक्त कराई गई। स्थानीय दैनिकों में समाचार छपे कि १९५५ के राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम की धारा ४२ (बी) में संशोधन पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस संशोधन के तहत दलितों की खेती की जमीन की बिक्री, दान, गिरवी या उपहार के रूप में देने पर लागू प्रतिबंध समाप्त हो जाएगा। यदि यह प्रतिबंध समाप्त कर दिया जाए, तो दलित जमीन से और दूर हो जाएंगे। इससे अभियान इस बारे में काफी चिंतित है।

शेरगढ़ और सिंधरी के दो सहभागी संगठनों के सहयोग से ७ गांवों में व्यक्तिगत व सामुदायिक स्तर पर करीब १५० जलाशय जल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत बनाए गए। इससे मात्र महिलाओं के लिए जल सुरक्षा स्थापित नहीं हुई, बल्कि पानी के सामूहिक नलकूप पर उन्हें जो भेदभाव का सामना करना पड़ता था वह भी समाप्त हुआ। महिला सदस्यों की एक जल समिति गठित की गई है। इन जलाशयों का प्रबंध

करने के लिए वह काम करती है।

२. मुख्य धारा में महिलाएं

राजस्थान में जोधपुर, झुंझनूं, टोंक और बांसवाड़ा जिलों की चार तहसीलों में पांच सहभागी संगठनों ने मिल कर सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सहभागिता पर एक शोध शुरू किया। इसके लिए उनकी मुलाकातें ली गईं और ग्राम पंचायतों व ग्राम सभाओं की बैठकों का मूल्यांकन किया गया। इसके अलावा उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की गई।

३. टिकाऊ जीवन निर्वाह को बढ़ावा

हम घरों की साज-सज्जा के साथ जुड़ी कई वस्तुएं हाल में विकसित कर रहे हैं।

४. विकलांगता की समस्याओं को मुख्य धारा में लाना

'सामर्थ्य : नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ बैरियर फ्री एन्वायरनमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सन्स तथा डेवलपमेंट अल्टरनेटिव्स' द्वारा त्रैमासिक समाचार पत्र बेजिन साउथ एशिया का २००७ का ८वां संस्करण सार्वत्रिक पहुंच के बारे में संयुक्त रूप से तैयार किया गया। दर्पण के सहयोग से पहुंच और समावेश के बारे में एक टॉक शो आयोजित किया गया जिसमें हमने सक्रियता से भाग लिया। कई हितधारकों ने भाग लिया और इसका प्रसारण स्थानीय दूरदर्शन चैनल द्वारा किया गया।

हैंडिकैप इंटरनेशनल द्वारा पहुंच अन्वेषण दूसरे दौर में विविध हितधारकों द्वारा किया गया और हमारे एक कार्यकर्ता ने इसमें सक्रियता से भाग लिया।

ग. आपदा जोखिम संचालन के सामाजिक निर्धारक

१. आपदा के प्रति प्रतिभाव

गत वर्ष बाड़मेर में बाढ़ के बाद हम हमारे सहभागी संगठनों के साथ मिल कर प्रभावित परिवारों के लिए राहत और पुनर्वास के कार्य में शामिल हुए। पिछले ९ माह के दौरान नए घर बनाने के लिए २४४ परिवारों और घरों की मरम्मत के लिए १०५ परिवारों को सहयोग दिया गया। इसके अलावा १०० परिवारों को रोजमर्रा का जीवन निर्वाह कर सकने के लिए एक किट दी गई। बाड़मेर की बाढ़ राहत व पुनर्वास वर्तमान स्थिति और भावी चुनौतियों के बारे में एक दिवसीय एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवधि के दौरान राहत व पुनर्वास के लिए जो प्रयास विविध संस्थाओं द्वारा किए गए, उनकी समझ स्थापित हो और इससे क्या सबक सीखा जा सकता है, यह उसका उद्देश्य था। इसके अलावा भविष्य के लिए और खासकर आगामी वर्षा ऋतु के लिए सामूहिक रणनीति बनाने का भी उद्देश्य इस कार्यशाला में रखा गया।

२. आपदा के प्रतिकार की तैयारी

अहमदाबाद में आपदा संचालन : कानूनी प्रावधानों और व्यवहारों के बारे में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें यूएनडीपी, जीएसडीएमए, एनआईडीएम, एनडीएमएडी आदि के प्रतिनिधियों के अलावा राहत आयुक्त, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि और शिक्षा जगत के विद्वानों समेत ३५ प्रतिनिधि शामिल हुए। कोर्टएड (नीदरलैंड्स) द्वारा आपदा जोखिम में कमी के बारे में जो अभिमुखता

कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें तीन सदस्यों की एक टुकड़ी ने भाग लिया। एसेसिंग डैमेजिस आफ्टर डिजास्टर : ए पार्टिसिपेटरी फ्रेमवर्क एण्ड टूलकिट नामक एक अंग्रेजी पुस्तक तैयार की गई है।

घ. नॉलेज रिसोर्स सेंटर

नॉलेज रिसोर्स सेंटर के पास हाल में ५,५७५ पुस्तकें हैं और पिछले तीन माह के दौरान इसमें २५२ पुस्तकें शामिल की गईं।



विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380 015

फोन: 079-26746145, 26733296 फैक्स: 079-26743752 email: sie@unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

खसरा नं.650, राधाकृष्णपुरम, लहेरिया रिसोर्ट के पास, पाल-चौपासनी बाय पास लिंक रोड, जोधपुर - 343 008, राजस्थान

फोन: 0291-3204618 email: unnati@datainfosys.net

डिज़ाइन: रमेश पटेल, उन्नति **गुजराती से अनुवाद:** पुष्पा शाही

मुद्रक: बंसीधर ऑफसेट, अहमदाबाद. फोन नं. 079-26441967

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।